RNI No. MPHIN/2018/76422

बेबाकी के साथ...सच

माही की गूंज

Www.mahikigunj.in, Email-mahikigunj@gmail.com

सुविचार

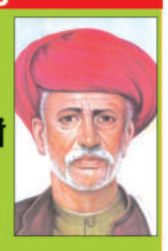

दूसरों की गलतियों से सिखना ही सबसे बड़ा आंकलन है।

महात्मा ज्योति बा फुले

वर्ष-08, अंक - 36 (साप्ताहिक) खवासा, गुरूवार 25 जून 2026 पृष्ठ-8, मूल्य -5 रुपए

करो जोरदार अभिनंदन... सबका साथ और परिवार का विकास

माही की गूंज, झाबुआ डेस्क।

संजय भटेवरा

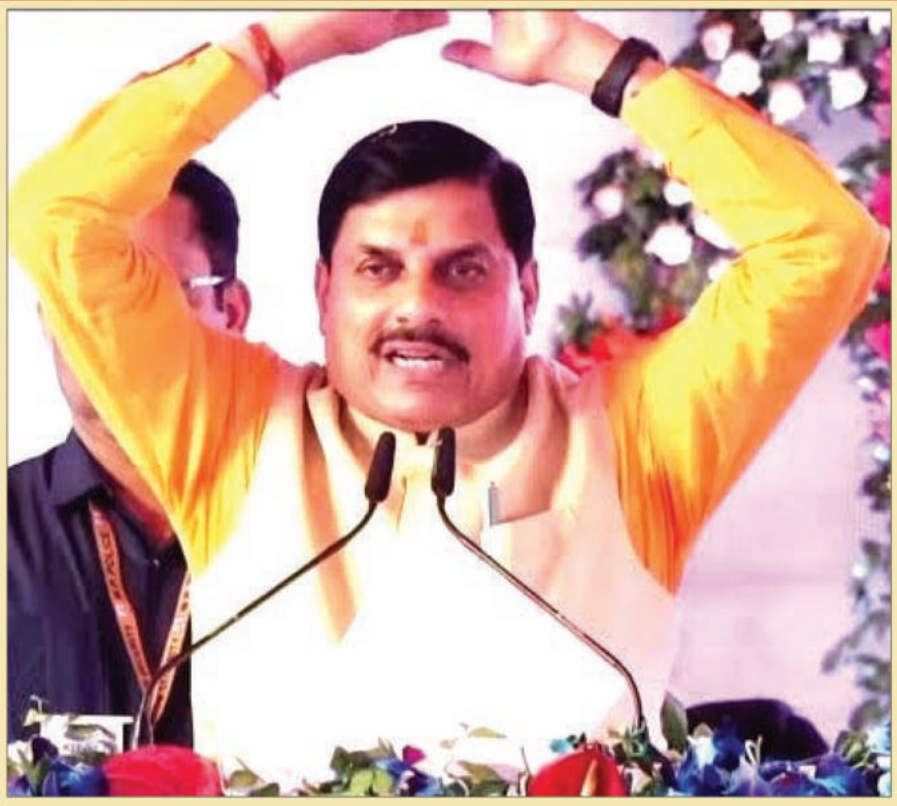

एक समाचार पत्र के खुलासे के बाद प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ गया है। कांग्रेस ने भी मुद्दे की गंभीरता को देखते हुए इसे भुनाने का प्रयास किया है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भोपाल और दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मध्य प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की है। साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के तत्काल इस्तीफे की मांग की है। राजनीति में आरोप लगना बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिस राजनीति नैतिकता की बात भाजपा करती है उसमे मात्र आरोप लगने पर ही नैतिकता के आधार पर त्यागपत्र देने की परंपरा रही है। भाजपा के शीर्ष नेता रहे लालकृष्ण आडवाणी ने तो हवाला कांड में नाम आने पर ही तत्काल सांसद पद से इस्तीफे की घोषणा कर दी थी और जब तक क्लीन चिट न मिली किसी भी पद को लेने से इनकार कर दिया था और क्लीन चीट मिलने के बाद ही फिर से चुनाव लड़कर सांसद बने थे। लेकिन वर्तमान राजनीतिक दौर में इस प्रकार की नैतिकता की अपेक्षा राजनेताओं से करना बेमानी है। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के ऊपर लगे आरोप के बाद दोनों ही दलों में बयानों की बाढ़ आ गई है। कांग्रेस जहां मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग कर रही है वहीं भाजपा भले ही बैकफुट पर है लेकिन इसे राजनीतिक आरोप बताकर सिरे से खारिज कर रही है। राज्यसभा चुनाव में तीसरी सीट जीतकर आलाकमान की नजरों में तलवार बनकर उभरे डॉ. मोहन यादव इन आरोप के बाद बैकफुट पर आ गए है। जहां तक इस्तीफे का सवाल है तो यह भाजपा का आंतरिक मामला है लेकिन किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री के परिवार के ऊपर इस प्रकार के आरोप जांच का विषय तो है...?

क्या है पूरा मामला

कांग्रेस ने एक मीडिया रिपोर्ट के हवाले से आरोप लगाया कि, डॉ. मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके परिवार के सदस्यो और उनकी रियल स्टेट कंपनीयो ने उज्जैन में 168 एकड़ (लगभग 137 भूखंड) जमीन खरीदी है। साथ ही यह आरोप भी लगाया है कि, यह जमीन मुख्य रूप से उन क्षेत्रों में खरीदी गई है जहां राज्य सरकार ने नई विकास परियोजना और सड़क निर्माण की घोषणा की थी। जिसके चलते कांग्रेस ने मुख्यमंत्री पर लाभ के पद और नियम उल्लंघन का आरोप भी लगाया है। इसके साथ ही कांग्रेस ने यह भी दावा किया है कि, मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके परिवार की संपत्ति में दिन दोगुनी रात चैगुनी वृद्धि हुई है। जिसके चलते कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इसे महाकाल की जमीन की लूट करार देते हुए मुख्यमंत्री से इस्तीफे और मामले की न्यायिक जांच कराने की मांग की है।

वही भाजपा ने कांग्रेस द्वारा लगाए गए आरोपो को सिरे से खारिज करते हुए इसे पुरी तरह राजनीतिक और मुख्यमंत्री की छवी को खराब करने के लिए लगाए गए आरोप करार दिया है। पार्टी का कहना है कि, मुख्यमंत्री का परिवार पहले से ही रियल स्टेट और जमीनो के कारोबार में सर्किय रहा है और उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद से उनकी पारिवारिक संपत्ती या जमीन में कोई अनूचित वृद्धि नही हुई है।

बरहाल इन आरोपो के बाद मध्य प्रदेश की राजनीति गरमा गई है भाजपा और कांग्रेस दोनों ही एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लग रहे हैं। वही सोशल मीडिया पर भी चर्चाओं का बाजार गर्म है तरह-तरह के मीम्स वायरल हो रहे है। कई यूजर्स लिख रहे हैं कि, डॉ. मोहन यादव पर लगे आरोप सही है तो उन्हें तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं अगर आरोप गलत है तो उन्हें आसाम के मुख्यमंत्री की तरह तुरंत एक्शन लेना चाहिए। वही सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री पर लगाए गए तथ्यात्मक आंकड़ों पर तथ्यवार सफाई भी दी गई है। अब सत्य क्या है यह तो जांच के बाद ही पता चलेगा लेकिन उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी और अब मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री पर इन आरोपो के बाद निश्चित रूप से भाजपा खेमे में खलबली है।

राम मंदिर चढ़ावा मामले की जांच रिपोर्ट सरकार को सौंपी

अयोध्या।

राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण की जांच कर रही विशेष जांच दल ने अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी है। सूत्रों के अनुसार रिपोर्ट में मंदिर ट्रस्ट से जुड़े कुछ पदाधिकारियों और अन्य व्यक्तियों की भूमिका की जांच किए जाने की आवश्यकता बताई गई है तथा आगे वैधानिक कार्रवाई की अनुशंसा की गई है।

जानकारी के अनुसार विशेष जांच दल ने अपनी लगभग 20 पृष्ठों की प्रारंभिक रिपोर्ट में बड़ी संख्या में सेवादारों और कर्मचारियों से पूछताछ के आधार पर निष्कर्ष प्रस्तुत किए हैं। रिपोर्ट में दानपात्रों के संचालन और प्रबंधन से जुड़े कुछ पहलुओं की विस्तृत जांच का सुझाव दिया गया है।

जांच के दौरान दल ने कुछ व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति में हुए बदलावों की भी पड़ताल की है। रिपोर्ट में पिछले वर्षों में प्राप्त चढ़ावे का लेखा परीक्षण कराने तथा भविष्य में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न सुझाव दिए गए हैं।

सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में आवश्यक होने पर प्राथमिकी दर्ज करने, ट्रस्ट की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने तथा प्रशासनिक व्यवस्था को और मजबूत बनाने संबंधी सुझाव भी शामिल हैं। इसके अलावा मंदिर प्रबंधन के लिए वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति पर भी विचार करने की अनुशंसा की गई है।

राज्य सरकार ने रिपोर्ट का परीक्षण शुरू कर दिया है। मामले में आगे की कार्रवाई जांच निष्कर्षों और सक्षम प्राधिकारियों के निर्णय के आधार पर की जाएगी।

रास लफान हादसे पर कतर के अमीर ने प्रधानमंत्री मोदी से जताया शोक

नई दिल्ली, एजेंसी।

कतर के रास लफान गैस संयंत्र में हुए भीषण विस्फोट में 12 भारतीय नागरिकों की मौत के बाद कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दूरभाष पर चर्चा कर गहरा शोक व्यक्त किया। इस हादसे में कुल 13 लोगों की जान गई थी, जिनमें 12 भारतीय नागरिक शामिल थे।

कतर के अमीर ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि इस कठिन समय में कतर सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है। उन्होंने हादसे में जान गंवाने वाले भारतीय नागरिकों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुखद घटना पर संवेदना व्यक्त करने और व्यक्तिगत रूप से शोक जताने के लिए कतर के अमीर का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि भारत और कतर के बीच घनिष्ठ संबंध हैं तथा संकट की इस घड़ी में दोनों देश एक-दूसरे के साथ खड़े हैं।

सोमवार को कतर के रास लफान गैस संयंत्र में हुए विस्फोट में कुल 13 लोगों की मृत्यु हुई थी। यह संयंत्र विश्व के प्रमुख द्रवीकृत प्राकृतिक गैस उत्पादन केंद्रों में शामिल है। हादसे के बाद राहत एवं बचाव कार्य चलाया गया तथा प्रभावित लोगों को चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध कराई गई।

भारतीय दूतावास और कतर प्रशासन मृतकों की पहचान, परिजनों से संपर्क तथा शवों को भारत भेजने की प्रक्रिया में समन्वय कर रहे हैं। इसके साथ ही हादसे के कारणों की जांच भी प्रारंभ कर दी गई है।

नीरव मोदी को लंदन की अदालत से झटका, 100 करोड़ रुपए चुकाने का आदेश

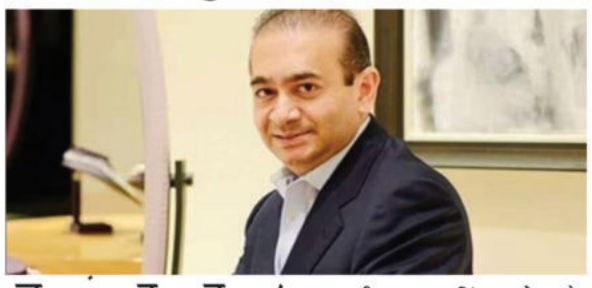

लंदन। पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के आरोपी और फरार हीरा कारोबारी नीरव मोदी को लंदन की अदालत से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने ऋण वसूली से जुड़े एक मामले में बैंक ऑफ इंडिया के पक्ष में निर्णय सुनाते हुए नीरव मोदी को 1.07 करोड़ डॉलर (करीब 100 करोड़ रुपये) का भुगतान करने का आदेश दिया है। यह राशि उस व्यक्तिगत गारंटी से संबंधित है, जो उन्होंने अपनी दुबई स्थित कंपनी के लिए ऋण लेते समय दी थी।

अदालत में नीरव मोदी ने तर्क दिया था कि व्यक्तिगत गारंटी के संबंध में उन्हें उचित सूचना नहीं दी गई थी, इसलिए उनसे भुगतान की मांग नहीं की जा सकती। हालांकि न्यायाधीश साइमन टिंकलर ने उनके इस तर्क को खारिज कर दिया।

निर्णय में वर्ष 2018 के एक ईमेल का उल्लेख किया गया, जिसमें नीरव मोदी ने स्वयं स्वीकार किया था कि पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के सामने आने के बाद उनके कारोबार पर गंभीर असर पड़ा है। उन्होंने लिखा था कि विभिन्न कार्रवाइयों के कारण उनकी कंपनियों का कामकाज प्रभावित हुआ और वे बैंकों की देनदारियां चुकाने में असमर्थ हो गए थे।

मामले के अनुसार जुलाई 2012 में बैंक ऑफ इंडिया ने फायरस्टार समूह की दुबई स्थित कंपनी फायरस्टार डायमंड एफजेडई को ऋण प्रदान किया था। इसके बाद अगस्त 2013 में नीरव मोदी ने व्यक्तिगत गारंटी दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर यह आश्वासन दिया था कि कंपनी द्वारा भुगतान नहीं किए जाने की स्थिति में वह स्वयं ऋण चुकाएंगे।

वर्ष 2018 में पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के उजागर होने के बाद बैंक ऑफ इंडिया ने ऋण वापसी के लिए नोटिस जारी किए थे। नोटिसों का संतोषजनक उत्तर नहीं मिलने पर बैंक ने न्यायालय की शरण ली।

नीरव मोदी ने यह भी दावा किया कि उन्हें भुगतान संबंधी कुछ नोटिस प्राप्त नहीं हुए थे। अदालत ने उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर इस दलील को भी अस्वीकार कर दिया। वर्तमान में नीरव मोदी लंदन की जेल में बंद हैं और भारत प्रत्यर्पण के विरुद्ध कानूनी प्रक्रिया का सामना कर रहे हैं।

एलन मस्क की संपत्ति में एक दिन में 11 लाख करोड़ रुपए की गिरावट

वॉशिंगटन।

दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति एलन मस्क की संपत्ति में एक ही दिन में करीब 118 अरब डॉलर (लगभग 11 लाख करोड़ रुपए) की कमी दर्ज की गई है। अमेरिकी शेयर बाजार में आई गिरावट के बाद उनकी कुल संपत्ति घटकर 957 अरब डॉलर रह गई है। इसके बावजूद वह दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हुए हैं।

बताया जा रहा है कि उनकी संपत्ति में आई गिरावट का प्रमुख कारण स्पेसएक्स के शेयरों में लगातार हो रही बिकवाली है। पिछले तीन कारोबारी सत्रों में कंपनी के शेयरों में लगभग 23 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई, जिससे कंपनी के बाजार मूल्य में करीब 600 अरब डॉलर की कमी आई है।

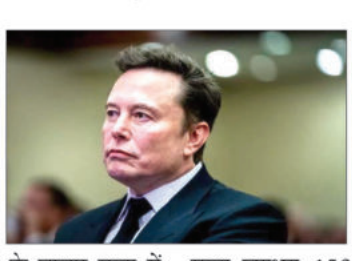

रिपोर्ट के अनुसार, स्पेसएक्स अभी भी एलन मस्क की सबसे बड़ी संपत्ति है। कंपनी में उनकी हिस्सेदारी का मूल्य लगभग 744 अरब डॉलर आंका गया है, जो उनकी कुल संपत्ति का बड़ा हिस्सा है। वहीं टेस्ला में उनकी हिस्सेदारी का मूल्य लगभग 158 अरब डॉलर बताया गया है।

इसी माह की शुरुआत में स्पेसएक्स के प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के बाद कंपनी का बाजार मूल्यांकन 2 ट्रिलियन डॉलर से अधिक पहुंच गया था। इसके बाद एलन मस्क की संपत्ति 1 ट्रिलियन डॉलर के आंकड़े को पार कर गई थी। हालांकि हाल के दिनों में शेयरों में आई गिरावट के कारण उनकी कुल संपत्ति में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है।

बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव के कारण बड़े उद्योगपतियों की संपत्ति में तेजी से बदलाव आ सकता है। उनका कहना है कि एलन मस्क की कंपनियों की दीर्घकालिक संभावनाओं को देखते हुए भविष्य में उनकी संपत्ति में फिर वृद्धि हो सकती है।

यूरोप में भीषण गर्मी का कहर, फ्रांस में 58 मौतें, परमाणु ऊर्जा संयंत्र बंद

पेरिस।

यूरोप के कई देशों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो गया है। फ्रांस में गर्मी से संबंधित घटनाओं में 58 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि अत्यधिक तापमान के कारण एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र को बंद करना पड़ा है। यूरोप के 26 देश इस समय भीषण गर्मी की चपेट में हैं और इनमें से 14 देशों में उच्चतम चेतावनी जारी की गई है।

फ्रांस में हुई मौतों में 40 लोग गर्मी से राहत पाने के लिए नदियों, झीलों और नहरों में स्नान के दौरान डूब गए। वहीं दो बच्चों सहित 18 लोगों की मृत्यु लू लगने से हुई है। अत्यधिक गर्मी के कारण गॉल्फेच परमाणु ऊर्जा संयंत्र को बंद करना पड़ा। संयंत्र को ठंडा करने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली गारोन नदी का तापमान 28 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की आशंका जताई गई है।

गर्मी की गंभीरता को देखते हुए फ्रांस सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर शराब सेवन पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह निर्णय वार्षिक संगीत महोत्सव श्फेत द ला म्यूजिकश् के दौरान लिया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं। अत्यधिक तापमान में शराब का सेवन स्वास्थ्य के लिए अधिक जोखिमपूर्ण माना गया है।

देश में 1,350 से अधिक विद्यालय बंद कर दिए गए हैं। सोमवार रात वर्ष 1947 के बाद की सबसे गर्म रात दर्ज की गई। कई क्षेत्रों में तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है। मौसम विभाग ने वर्तमान स्थिति की तुलना वर्ष 2003 की घातक गर्मी की लहर से की है, जिसमें लगभग 15 हजार लोगों की जान गई थी।

फ्रांस के अलावा स्पेन, इटली और ब्रिटेन सहित यूरोप के 26 देश गर्मी की लहर से जूझ रहे हैं। कई स्थानों पर तापमान 40 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक दर्ज होने की संभावना है।

ब्रिटेन में भी तापमान नए कीर्तिमान की ओर बढ़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार तापमान 39 डिग्री सेल्सियस से अधिक पहुंच सकता है, जो जून 1976 के राष्ट्रीय रिकॉर्ड को पीछे छोड़ सकता है। विभाग ने बुधवार और गुरुवार के लिए अत्यधिक गर्मी की उच्चतम चेतावनी जारी की है। आशंका है कि रात के समय भी तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं जाएगा, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलने की संभावना कम रहेगी।

जनजाति कार्य विभाग में शिक्षक स्थानांतरण में हुआ बड़ा खेला

ऐच्छिक स्थानांतरण आवेदन वालों को सेटिंग के जरिए मनचाही जगह, प्रशासनिक स्थानांतरण के नाम पर हुआ खेला

माही की गूंज, पेटलावद।

सरकार की तबादला नीति पर सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि स्थानांतरण में बड़े स्तर पर हेराफेरी के कई मामले सामने आ चुके हैं। एक स्टिंग ऑपरेशन में विभिन्न विभागों में स्थानांतरण के लिए राशि लिए जाने के वीडियो तक सामने आ चुके हैं। लेकिन भ्रष्टाचार को खुली छूट देने के आरोपों के बीच, किसी भी मामले में कार्रवाई नहीं होने से नियमों को ताक पर रखकर स्थानांतरण किए जाने की चर्चा है।

पहले से ही ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था को जनजाति कार्य विभाग की मनमानी ने और अधिक जटिल बना दिया है। झाबुआ जिले के जनजाति कार्य विभाग में शिक्षक स्थानांतरण को लेकर बड़ा खेल सामने आया है। आरोप है कि जिम्मेदारों ने नियमों को ताक पर रखकर मनमानी की है। जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता पहले ही चुनौती बनी हुई है। ऐसे मामलों से ईमानदार शिक्षकों का मनोबल टूटता है और व्यवस्था पर से भरोसा कम होता है।

आवश्यकता इस बात की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो तथा दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए, ताकि स्थानांतरण प्रक्रिया पारदर्शी और नियम-संगत बनी रहे।

सबसे बड़ा सवाल पुराने जमे हुए शिक्षकों पर चुप्पी क्यों...?

एक तरफ अपात्र शिक्षकों को नियमों की अनदेखी कर मनचाही पोस्टिंग दी जा रही है, वहीं दूसरी तरफ वर्षों से एक ही स्कूल में जमे शिक्षकों पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। नियम सभी के लिए समान होने चाहिए, लेकिन कई शिक्षक 30 वर्षों से भी अधिक समय से एक ही स्थान पर पदस्थ हैं। आखिर उन पर इतनी कृपा दृष्टि क्यों?

स्थानांतरण नीति के अनुसार तीन वर्ष बाद रोटेशन होना चाहिए, लेकिन इन मामलों में नियम लागू नहीं होता दिखाई देता। यदि पेटलावद की बात करें तो सांदीपनी विद्यालय पेटलावद में कुछ शिक्षक नियुक्ति से लेकर 30 से 35 वर्षों से पदस्थ हैं। आरोप है कि उनकी सेटिंग इतनी मजबूत है कि उनका सेवानिवृत्ति काल भी वहीं से पूरा होगा।

सुविधा वाले स्कूलों पर कब्जा

जिले के मुख्यालय अथवा सड़क से जुड़े स्कूलों में कुछ चुनिंदा शिक्षक वर्षों से जमे हुए हैं। वहीं, दूरदराज के आदिवासी क्षेत्रों में पदस्थापना की बारी आते ही कथित रूप से सेटिंग शुरू हो जाती है।

आरोप है कि प्रशासनिक मिलीभगत और ऊपरी संरक्षण के बिना वर्षों तक एक ही स्थान पर टिके रहना संभव नहीं है। कार्रवाई की फाइलें वहीं दबा दी जाती हैं, जहां से कार्रवाई शुरू होनी चाहिए।

यदि हाल ही में जारी स्थानांतरण सूची पर नजर डालें तो एकीकृत माध्यमिक विद्यालय के प्राथमिक विभाग में, जहां 100 से अधिक विद्यार्थी दर्ज हैं, वहां कुल तीन शिक्षिकाएं पदस्थ थीं। इनमें से दो ने ऐच्छिक स्थानांतरण के लिए आवेदन किया था। एक ने सांदीपनी विद्यालय पेटलावद तथा दूसरी ने वन कन्या आश्रम माध्यमिक शाला में स्थानांतरण की इच्छा जताई थी। बाद में दोनों को प्रशासनिक स्थानांतरण के नाम पर उन्हीं स्थानों पर भेज दिया गया।

वहीं, विद्यालय में बची हुई एकमात्र शिक्षिका भी जुलाई माह में सेवानिवृत्त होने वाली है। दूसरी ओर वन कन्या आश्रम, जहां कक्षा 6 से 8 तक की पढ़ाई होती है और मात्र 60 छात्राओं की सीटें हैं, वहां अधीक्षिका सहित कुल छह शिक्षक पदस्थ हो गए हैं। ऐसी स्थिति कई स्कूलों में बन रही है और फिलहाल अतिथि शिक्षक भी उपलब्ध नहीं हैं।

दूरस्थ क्षेत्रों की स्कूल शिक्षक विहीन हो रही हैं

इसका सीधा असर ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों की पढ़ाई पर पड़ रहा है। वर्षों से एक ही स्थान पर जमे शिक्षकों की जवाबदेही तय नहीं होने से समस्या और गंभीर होती जा रही है।

यदि वर्तमान सत्र में हुए ऐच्छिक स्थानांतरण आवेदनों की बात करें तो पेटलावद ब्लॉक में लगभग 100 शिक्षकों ने मनचाही जगह पर स्थानांतरण के लिए आवेदन किया था। लेकिन खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा आवेदनों की जांच के दौरान पाया गया कि अधिकांश आवेदकों द्वारा दिए गए कारण कहीं से भी उचित प्रतीत नहीं हो रहे थे अथवा आवश्यक दस्तावेज पर्याप्त नहीं थे। इसी आधार पर अधिकांश आवेदनों को रिवर्ट (अमान्य) कर दिया गया था। इसके बाद शिक्षक संगठनों के माध्यम से जिला अधिकारियों पर दबाव बनाने का प्रयास किया गया और खंड शिक्षा अधिकारी के रवैये पर प्रश्न उठाए गए।

आरोप है कि इसके बाद ऐच्छिक स्थानांतरण चाहने वाले शिक्षकों को प्रशासनिक स्थानांतरण के माध्यम से उनकी मनचाही जगहों पर पदस्थ कर दिया गया।

सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि जिन शिक्षकों के ऐच्छिक स्थानांतरण आवेदन रिवर्ट कर दिए गए थे, उन्हें उन्हीं स्थानों पर प्रशासनिक स्थानांतरण कैसे मिल गया?

आखिर क्यों किए ऐच्छिक को प्रशासनिक में तब्दील...?

नियमानुसार ऐच्छिक स्थानांतरण केवल रिक्त पदों पर किए जाते हैं, जबकि प्रशासनिक स्थानांतरण में यह बाध्यता आवश्यक नहीं होती। आरोप है कि इसी प्रावधान का उपयोग करते हुए पूरी प्रक्रिया को अपने अनुसार संचालित किया गया और पर्दे के पीछे पूरा खेल खेला गया।

क्या हुआ मामला...?

ऐच्छिक स्थानांतरण के लिए आवेदन करने वाले कई शिक्षक पात्रता की शर्तें पूरी नहीं कर पाए। इसके बावजूद उन्हीं शिक्षकों को उनकी मनचाही जगह पर प्रशासनिक स्थानांतरण के नाम पर भेज दिया गया।

नियमों के अनुसार अपात्र आवेदकों का स्थानांतरण नहीं होना चाहिए था, लेकिन यहां प्रक्रिया को उलट दिया गया।

उठ रहे हैं सवाल

1. जब शिक्षक ऐच्छिक स्थानांतरण के लिए अपात्र थे, तो उन्हें प्रशासनिक आधार पर उसी स्थान पर कैसे भेज दिया गया...?
2. क्या यह उन पात्र शिक्षकों के साथ अन्याय नहीं है, जो वर्षों से उचित स्थानांतरण का इंतजार कर रहे हैं...?
3. प्रशासनिक आवश्यकता की आड़ में मनमानी को बढ़ावा क्यों दिया गया...?

कार्यालय कलेक्टर (जनजातीय कार्य विभाग) जिला झाबुआ
:: संशोधित आदेश ::
क्रमांक/स्थापना/स्थानांतरण/2026/4669 झाबुआ,दिनांक 16/06/2026

पूर्व में जारी कार्यालयीन आदेश क्रमांक/स्थापना/स्थानान्तरण/2026/4655-56 झाबुआ,दिनांक 15.06.2026 को अधिकृमित करते हुए सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय भोपाल के परिपत्र क्रमांक GAD/4/0001/2026-GAD-9-01 दिनांक 22.05.2026 के द्वारा जारी स्थानांतरण नीति अनुसार निम्नलिखित शासकीय सेवकों को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम क्रमांक 06 में दर्शाये गए स्थान पर तत्काल प्रभाव से स्थानांतरित कर आगामी आदेश तक अस्थाई रूप से पदस्थ किया जाता है:-

क्र.	नाम कर्मचारी	पदनाम	वर्तमान पदस्थ संस्था	विकास खण्ड	स्थानांतरित संस्था का नाम	विकास खण्ड
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री राकेश कुमार जोशी	माध्यमिक शिक्षक	हाईस्कूल [illegible]	राणापुर	मा.वि.नरसिंगपुरा	मेघनगर
2	श्री प्रकाश अमलियार	प्राथमिक शिक्षक	बा.प्रा.वि.कुन्दनपुर	राणापुर	प्रा.वि.[illegible]	राणापुर
3	श्री नरेन्द्रसिंह ठाकुर	माध्यमिक शिक्षक	न.मा.वि.घटिया	झाबुआ	नवीन मा.वि.कोटडा	झाबुआ
4	श्री [illegible]	माध्यमिक शिक्षक	उ.मा.वि.कल्याणपुरा	झाबुआ	मा.वि.[illegible]	पेटलावद
5	श्री गणेश देवल	माध्यमिक शिक्षक	मा.वि.[illegible]	रामा	मा.वि.[illegible]	थांदला
6	श्री कोमल बामनिया	प्राथमिक शिक्षक	प्रा.विद्यालय [illegible]	रामा	प्रा.वि.छोटी [illegible]	थांदला
7	श्री संजय पटेल	प्राथमिक शिक्षक	प्रा.विद्यालय [illegible]	रामा	[illegible]	थांदला
8	श्रीमति जयश्री कहार	प्राथमिक शिक्षक	[illegible]	रामा	प्रा.वि.[illegible] विकास केन्द्र झाबुआ	झाबुआ
9	श्री रेतुसिंह डोडियार	प्राथमिक शिक्षक अधीक्षक	सीनियर बालक छात्रावास मेघनगर	मेघनगर	एकीकृत आदिवासी विद्यालय मेघनगर	मेघनगर
10	श्रीमती रमीला बसुनिया	माध्यमिक शिक्षक अधीक्षक	सीनियर कन्या छात्रावास मेघनगर	मेघनगर	मा.वि.[illegible]	रामा
11	श्री रमेश निनामा	प्राथमिक शिक्षक अधीक्षक	[illegible] आश्रम [illegible]	मेघनगर	प्रा.वि.[illegible]	मेघनगर
12	श्री दिनेश कटारा	माध्यमिक शिक्षक	मॉडल स्कूल [illegible]	मेघनगर	एकीकृत आदिवासी विद्यालय मेघनगर	मेघनगर
13	श्री [illegible]	प्राथमिक शिक्षक, अधीक्षक	आदिवासी बालक छात्रावास [illegible]	मेघनगर	प्रा.वि.नरसिंगपुरा, देवली	पेटलावद

प्रशासनिक स्थानांतरण की जिले के 172 शिक्षकों की सूची हुई जारी जिसमें ऐच्छिक स्थानांतरण चाहने वाले कई शिक्षकों के नाम शामिल किए गए।

RANEE BHAGORA
RAKESH HIRWANE
PAWAN NINAMA
Sunita Jani
BHUVNESHVARI KHARADI
SHOBHA GEHLOT
Savita Maida
SANTOSH SINGAD
TULSI KHARADI
JYOTI KHADHEDA
Bhuralal Gamad
SUBHADRA KANESH
Jitendra Singad
SANGEETA PADIYAR
SHYAM LAL MOBIYA
PRABHU LAL SINGHADA
SANTOSH KUMAR CHANDRAWAT
Sillu Damor
GANPAT RATHORE
INDRA PRATAP SINGH
LAL SINGH SEMLIYA
SANGITA BHABAR
VISHNU MAKWANA
BHUPENDRA SINGH RATHORE
RANIKA SISODIYA
REENA JHODIYA
Dinesh Parmar
Gaytri Jaiswal
Sudha Kag
RACHNA CHOUHAN
POOJA BHABAR
Nilesh Rathor
MIRA JAMOD
SATRUDAN MALVIYA
LAXMINARAYAN PATIDAR
BHAVANA BHURIYA
Nilesh Samvedi
MONA BHAGORA
SHADAB AHMED QURESHI
RAVI BHURIYA
OMKAR LAL CHOYAL
UMA AHIRWAR
VISHNU KHARADI
DWARKA LAL MEGHWAL
Nirmala Dawar
Raju Maida
VISHAL DHAK
Ziyaur Rehaman Khan
DASHRATH MEGHWAL
PAWAN KUMAR SHRINGI
Hemlata Benal
Babulal Garwal
KAVITA NINAMA
GOVERDHANLAL JHODIYA
PRIYATAM PRAJAPAT
GHANSHYAM CHOUHAN
SUNIL KUMAR NAGAR
MUKESH GEHLOT
SANDEEP RATHORE
SANDEEP PATIDAR
NANDKISHOR PATIDAR
GOVIND BHIL
RAJESH BHILALA
BHARTI BHALSE
SHAILENDRA SINGH SISODIYA
SURESH CHANDRA JOSHI
PARSINGH KAMALIYA
PANKESH PATIDAR
SHREERAM PATIDAR
DOULAT SINGH BHILALA

ऐच्छिक स्थानांतरण के आवेदन करने वाले शिक्षकों की सुचि जिसे खंड शिक्षा अधिकारी ने रिवर्ट किया।

अवैध संबंधों के चलते पत्नी ने रची थी पति की हत्या की साजिश, प्रेमी समेत 3 गिरफ्तार

माही की गूंज, बामनिया।

जिले के पेटलावद थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बामनिया में मिली एक अज्ञात लाश की गुत्थी को पुलिस ने महज कुछ ही दिनों में सुलझा लिया है। इस मामले में कोई बाहरी नहीं, बल्कि मृतक की अपनी पत्नी ही मुख्य साजिशकर्ता निकली, जिसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को मौत के घाट उतार दिया था। पुलिस ने इस अंधे कत्ल का पर्दाफाश करते हुए पत्नी और प्रेमी समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

क्या था पूरा मामला...?

गत 11 जून 2026 को बामनिया के बिजनीपाड़ा कच्चे मार्ग और रेलवे ट्रैक के पास एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई थी। पेटलावद पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की और तकनीकी साक्ष्यों व सोशल मीडिया की मदद से 12 जून को मृतक की पहचान बहादूर भूरिया (36), निवासी ग्राम सेमलिया के रूप में की।

पत्नी और प्रेमी ने रची थी खौफनाक साजिश

पुलिस जांच में सामने आया कि मृतक की पत्नी समिता उर्फ सुमित्रा के गलिया निनामा नामक व्यक्ति से अवैध संबंध थे। पति-पत्नी के बीच अक्सर इस बात को लेकर विवाद होता था। चार महीने पहले समिता अपने मायके चली गई थी, जहाँ से वह लगातार अपने प्रेमी के संपर्क में थी। दोनों ने मिलकर बहादूर को रास्ते से हटाने का षड्यंत्र रचा।

पहले शराब में जहर फिर गला घोंटकर कत्ल

योजना के तहत, समिता ने अपने परिचित कमरू वसुनिया निवासी रतलाम के माध्यम से जहरीली गोलियां मंगवाईं। 09 जून को आरोपी गलिया निनामा ने बहादूर को फोन कर बामनिया बुलाया। वहां सुनसान जगह पर उसे शराब में जहर मिलाकर पिलाया और फिर उसके ही गमछे से गला घोंटकर उसकी निर्मम हत्या कर दी। साक्ष्य छिपाने की नीयत से शव को रेलवे ट्रैक के पास फेंक दिया गया। पुलिस ने भौतिक साक्ष्यों, सीसीटीवी फुटेज और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर मामले को सुलझाया। पुलिस ने अपराध क्रमांक 277/2026 धारा 103 (1) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर तीन आरोपी गलिया पिता लालजी निनामा निवासी कुण्डाल, मुख्य आरोपी और प्रेमी, समिता उर्फ सुमित्रा, मृतक की पत्नी और मुख्य साजिशकर्ता ओर कमरू पिता प्रभु वसुनिया 26 वर्ष जहर उपलब्ध कराने वाला सहयोगी को गिरफ्तार किया है। वारदात में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है।

एजेंसी देना है

झाबुआ जिले के मेघनगर, राणापुर , पिटोल, झकनावदा, परवलिया में माही की गूंज की एजेंसी देना है। अन्य स्थान पर जहाँ एजेंसी नही है वहा से भी संपर्क कर सकते है।
पत्रकारिता में रुचि रखने व समाचार पत्र का संचालन करने में सक्षम व्यक्ति संपर्क करे।

संपर्क :- संजय भटेवरा प्रधान संपादक माही की गूंज, बाजना मार्ग, खवासा। 9589882798

प्रदेश में कुपोषण का कलंक: महिला बाल विकास विभाग मंत्री की नाकामी, आदिवासी अंचल कुपोषण से अधिक प्रभावित

माही की गूंज,झाबुआ।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की ताजा रिपोर्ट प्रदेश के लिए बहुत ही गंभीर और डराने वाली है, इस रिपोर्ट में प्रदेश के अंदर कुपोषण की स्थिति घटने के स्थान पर बढ़ती जा रही है। प्रदेश सरकार का महिला एवं बाल विकास विभाग सुस्त मंत्री और सुस्त तंत्र की तरह हाथ पर हाथ धरे बैठा है। विभाग मंत्री की कार्य के प्रति कमजोरी और निष्क्रियता के कारण प्रदेश में कुपोषण इस स्तर पर जा पहुंचा है कि, उस पर चिंता करते हुए गहन विचार करने की आवश्यकता पड़ रही है। जबकि वर्ष 2023-2024 में भी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण रिपोर्ट ने चेतावनी दी थी कि सम्पूर्ण देश में कुपोषण का सबसे अधिक प्रतिशत मध्यप्रदेश के बच्चों में पाया गया है, और वर्तमान में तो यह प्रतिशत बढ़ा ही है। साथ ही जनजाति क्षेत्रों में कुपोषण का प्रभाव पहले से और अधिक बढ़ा है। वहीं देखने वाली बात यह है कि रिपोर्ट के अनुसार तो कुपोषण बढ़ा है लेकिन बीते वर्ष ही प्रदेश मंत्री और कलेक्टर ने झाबुआ जिले के नाम से मोटी आई को लेकर वाहवाही लूटी थी। यदि मोटी आई योजना प्रभावित थी तो क्या राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की रिपोर्ट या उसके जांच अधिकारी गलत है ,यह प्रश्न झाबुआ जिले में कुपोषण पर बढ़ते आंकड़ो पर लोगों को, विभाग को, सरकार को यहां तक कि सर्वेक्षण करने वालों को भी झकझोड़ने वाला है।

पूरे प्रदेश में 97 हजार, 882 आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित है, प्रत्येक आंगनवाड़ी में पर्याप्त मात्रा में पोषण आहार पहुंच रहा है, अन्य आवश्यकता की सामाग्री समयानुसार पहुंच रही है फिर भी प्रदेश में कुपोषण का कलंक मिटाए से नहीं मिट रहा है। क्योंकि कम वजनी बच्चों का प्रदेश में प्रतिशत 39.7 है तो इतने प्रयासों के बाद भी कार्य में सार्थकता क्यों नहीं आ पा रही है क्या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता समय पर केंद्र नहीं पहुंच पा रही है अगर वो नहीं पहुंच पा रही है तो उस क्षेत्र की सुपरवाइजर सिर्फ अधिकारियों के लिए उगरानी करने का कार्य संपंन कर रही है। सीडीपीओ या डीपीओ क्युं कार्यालय में बैठकर कुर्सियां तोड़ रहे हैं उनको फिल्ड में जाकर चेक करते समय पैरों में मेंहदी क्यों लग जाती है।

महिला एवं बाल विकास विभाग से जुड़े मंत्री, नेता, अधिकारी, कर्मचारी की कार्य में कमजोरी और नाकामी के साथ विभाग में बढ़ते घोटाले और भ्रष्ट्राचार प्रदेश में बढ़ते बच्चों के अंदर कुपोषण का जिम्मेदार है। नियंत्रक एवं महालेखा परिक्षक ने कुछ आठ जिलो के ऑडिट के आधार पर वर्ष 2023 की रिपोर्ट में अनेक अनियमितता की बात को दर्शाया था, जिसमें छः माह से तीन वर्ष के बच्चों, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को टेक होम राशन दिया जाता है वह कई जिलों में आज भी नहीं पहुंचाया जाता है। फिर राशन की गुणवत्ता पर भी प्रश्न और परिवहन के नाम पर बहुत से फर्जीवाड़े किए गए थे। सबसे अधिक फर्जीवाड़ दर्ज बच्चों की संख्या में होता है। आंगनवाड़ी में जिनती बच्चों की संख्या दर्ज होती है अधिकतर पाया गया है उतने बच्चें वहां होते नहीं है।

प्रदेश में कुपोषण की स्थिति बहुत ही अधिक खराब है, इसके पीछे के कारणों को समझना बहुत ही आवश्यक है और सरकार के मंत्री ऐसे कारणों को जानने समझने के लिए होते ही नहीं है। क्योंकि उनके पास इस स्तर की वार्ता के लिए समय नहीं होता है वो अपने लोगों में घीरे रहकर स्वयं की प्रशंसा को ही सुनना पसंद करते हैं, इसीलिए प्रदेश मंत्री से इस बात की उम्मीद रखना नाकामी होगी... परंतु इसका अर्थ यह तो नहीं की प्रदेश को कुपोषण से मुक्त करवाने के लिए कुछ न किया जाए...। प्रदेश के मुखिया को इस बात पर अवश्य ध्यान धरना चाहिए कि महिला बाल विकास विभाग को सुस्ती से कैसे उबारे, कैसे विभाग को चुस्त दुरुस्त बनाए ताकि प्रदेश का भविष्य गढ़ने वाले कुपोषित पैदा न हो। चाहे इसके लिए बहुत से बदलाव ही क्यों न करने पड़े।

विशेषज्ञो के अनुसार कुपोषण के बहुत कारण होते हैं, विचारणिय बात है कि बच्चा कुपोषित पैदा होता है तो वह क्यों होता है, क्योंकि उसकी मां कमजोर होती है, या फिर उसके पिता में कोई कमजोरी होती है। मां की कमजोरी पर इसीलिए फोकस किया जाता है क्योंकि जन्म का आधार मां ही होती है। माता अगर कमजोर होगी तब बच्चा भी कमजोर होता है.. माता में कमजोरी के कारण क्या-क्या हो सकते हैं या तो माता की उम्र कम हो या एनीमीया या फिर अन्य कोई रोग से माता ग्रसित हो, इसके बाद कुपोषण की बढ़ती संख्या में पुर्णरुप से बच्चों को माता का दुध भी नहीं मिल पाता है एक रिपोर्ट के अनुसार 56 प्रतिशत बच्चों को माता का दुध छः माह तक मिल पाता है। काउंसलर ठीक से माताओं को प्रेरित नहीं कर पाती है। दूसरा कारण 55 प्रतिशत महिलाए एनीमीया की शिकार है जिसके कारण उनकी संतानों में भी कुपोषण और रक्त अल्पता होने का खतरा यथावत रहता है। माता-पिता की निर्धनता और अज्ञानता के कारण भी कुपोषण बढ़ता है क्योंकि बच्चों को प्रोटीन का आवश्यकता होती है और अधिकतर बच्चों के भोजन में प्रोटीन की कमी होती है। बच्चों में बिमारियों की वजह से कुपोषण होता है जैसे डायरिया, पेट में कीड़े पड़ना। ग्रोथ चार्ट के आधार पर यह देखना जरुरी है कि उम्र के अनुसार बच्चों की ऊंचाई और वजन है या नहीं... यदि नहीं है तो उसमें तुरंत सुधार करना चाहिए।

रिंकेश बैरागी

प्रदेश में कुपोषण का कंलक इस तरह लगा हुआ है कि, सभी शुन्य से पांच वर्ष के बच्चों में प्रदेश में हर तीन बच्चें में एक बच्चा ठीगना है और हर चार में से एक बच्चा तीव्र कुपोषित है। इसी तरह कम वजनी बच्चों का आंकड़ 39.9 प्रतिशत है।

बहरहाल प्रदेश के मुख्यमंत्री को महिला एवं बाल विकास विभाग की सुस्त प्रणाली पर फेरबदल कर उसे तरोताजा करने की आवश्यकता है क्योंकि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार विभीन्न संकेतो में प्रदेश की स्थिति अधिक बुरी है। ठीगनापन (स्टंटींग) शीर्ष पांच खराब राज्यों में से एक है मध्यप्रदेश, तीव्र कुपोषित (वेस्टिंग) देश के सबसे खराब राज्यों में से एक है मध्यप्रदेश, कम वजनी (अंडरवेट) देश के सबसे खराब राज्यों में दूसरा है मध्यप्रदेश। इन आंकड़ों को देखते हुए भी मुख्यमंत्री को बच्चों के प्रति कोई लगाव नहीं बन रहा है तो कुपोषोण प्रदेश में और अधिक बढ़कर प्रदेश के भविष्य पर गहरा घाव करेगा। प्रदेश मुखिया को तुरंत कार्यवाही करते हुए यदि विभाग मुखिया को भी बदलना पड़े तो बच्चों के भविष्य को देखते हुए बदल देना चाहिए।

एकमुश्त 82 लाख देकर लिए पट्टे, पंचायत सरपंच ने खुद उगला पट्टा वितरण का राज

जिस भूमि को आबादी की बताकर पट्टे दिए, वह शासकीय भवनों हेतु सुरक्षित भूमि निकली

सोशल मीडिया पर सरपंच के भ्रष्टाचार के लगातार खुलासों की पोस्टों की बाढ़

ग्राम पंचायत के नुमाईंदो ने बकायदा ग्राम सभा की बैठक का उल्लेख कर अनुमोदित भूमि के आवांटित पट्टे की चतुर्सीमा में कॉलोनी का उल्लेख किया जो विभिन्न नाम से पंचायत में प्रमाण-पत्र दिए।

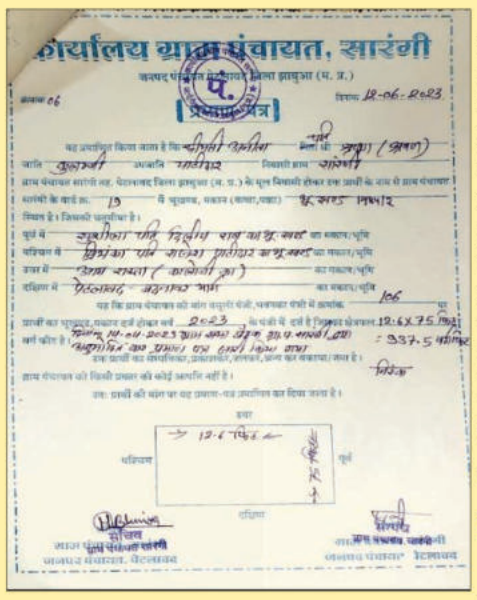

माही की गूंज, पेटलावद।
राकेश गेहलोत

विकासखंड की सारंगी ग्राम पंचायत में अवैध पट्टा वितरण के मामले ने अब बड़ा तूल पकड़ लिया है। शिकायतकर्ताओं और सरपंच व उनके समर्थकों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। कागजों और शिकायतों से शुरू हुई यह जंग अब सोशल मीडिया तक पहुंच गई है, जहां लंबे समय से सरपंच पद पर बनी हुई फुन्दीबाई के कार्यकाल में हुए कथित बड़े भ्रष्टाचार की परतें खुल रही हैं। वहीं, शिकायतकर्ताओं को अन्य मामलों में उलझाने या उनके कथित अतिक्रमण की शिकायतें करने के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से दबाव बनाने का प्रयास भी किया जा रहा है।

इस बीच प्रशासन ने अब तक अपनी ओर से की जाने वाली कार्रवाई को लेकर कोई स्पष्ट रुख नहीं अपनाया है। शिकायतकर्ताओं के बयान दर्ज किए जा चुके हैं तथा सरपंच और सचिव को भी बयान के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। इधर कार्रवाई शुरू हुई और उधर घबराई सरपंच फुन्दीबाई मेड़ा ने मीडिया को बयान जारी कर दिया। इस बयान में उन्होंने स्वयं ही कथित अवैध पट्टा वितरण प्रकरण का खुलासा कर दिया। हालांकि उन्होंने शिकायतकर्ताओं द्वारा लगाए गए पैसे लेने के आरोपों को नकार दिया, लेकिन किसी पत्रकार के दबाव में पट्टे देना स्वीकार कर स्वयं ही विवादों में घिर गईं।

82 लाख की एकमुश्त डील, सरपंच, सचिव और उपसरपंच को पैसे देकर लिए पट्टे

शिकायतकर्ताओं का कहना है कि, ग्राम पंचायत से लगातार पट्टे देने की मांग की जा रही थी, लेकिन पट्टे देने के बदले राशि की मांग की गई। इसके बाद कुल 16 लोगों ने पट्टों के बदले राशि देना तय किया। इनमें से 14 लोगों ने 5-5 लाख रुपए, एक व्यक्ति ने 8 लाख रुपए और एक व्यक्ति ने 4 लाख रुपए दिए। इस प्रकार कुल 82 लाख रुपए ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव और उपसरपंच को दिए गए।

इसके बाद सभी को 23 जून 2023 की एक ही तारीख में पट्टे जारी किए गए, जिनमें बकायदा चतुर्सीमा भी दर्शाई गई कि, कौन व्यक्ति कहां बैठेगा। इतने बड़े लेन-देन के बावजूद सरपंच और सचिव ने पट्टाधारकों को ग्राम पंचायत की केवल 500 रुपए की रसीद दी और शेष राशि कथित रूप से हड़प ली।

सारंगी में पट्टा वितरण का यह कोई नया मामला नहीं है। इससे पहले भी पट्टे देने के नाम पर सरपंच और सचिव के खिलाफ शिकायतें दर्ज हो चुकी हैं, जिन्हें शिकायतकर्ताओं को राशि लौटाकर दबा दिया गया था। फिलहाल एक ही भूमि का मामला सामने आया है, जबकि ग्राम पंचायत में सरकारी भूमि पर अवैध पट्टे देने, कृषि प्रयोजन हेतु दी गई भूमि पर व्यावसायिक मार्केट बनाने तथा शासकीय भवनों तक को बेचने जैसे अन्य मामले भी प्रशासनिक जांच में सामने आ सकते हैं।

पट्टों के नाम पर ग्राम पंचायत ने काटी अवैध कॉलोनी

पैसे की चमक में ग्राम पंचायत ने सभी नियम-कायदों को ताक पर रखकर पट्टों के नाम पर कथित रूप से अवैध कॉलोनी काट डाली। जिन पट्टाधारकों को भूमि के पट्टे जारी किए गए, उनकी चतुर्सीमा में बकायदा आम रास्ते को कॉलोनी का मार्ग बताया गया। इससे स्पष्ट होता है कि शासकीय भूमि पर निजी कॉलोनी का नक्शा बनाकर पट्टों के नाम पर भूमि बेची गई।

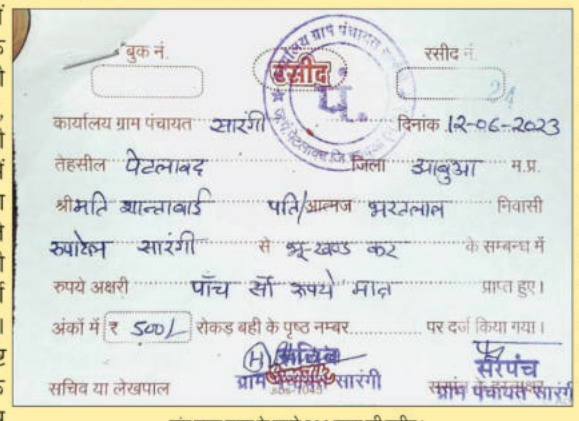

पांच लाख रुपए के बदले 500 रुपए की रसीद।

पट्टे जारी करने के लिए ग्रामसभा की बैठक का उपयोग किया गया, जिसका उल्लेख पट्टों के दस्तावेजों में भी किया गया है। सरपंच फुन्दीबाई ने मीडिया के सामने यह स्वीकार किया कि उन्हें यह जानकारी नहीं थी कि ग्राम पंचायत को पट्टे देने का अधिकार नहीं है और प्रशासन चाहे तो पट्टे निरस्त कर सकता है।

हालांकि, सरपंच का यह तर्क इसलिए भी कमजोर प्रतीत होता है क्योंकि ग्राम पंचायत सचिव भी इस प्रक्रिया में शामिल था और उसे शासकीय नियमों की पूरी जानकारी होना स्वाभाविक है। इसके बावजूद नियमों की अनदेखी की गई, जिससे यह प्रतीत होता है कि सरकारी पट्टों के नाम पर प्लॉट बेचे गए और उनकी कीमत वसूली गई।

सर्वे नंबर 1784/2 शासकीय भवन हेतु सुरक्षित भूमि, आबादी के लिए आबंटित भूमि पर गाड़लिया समाज काबिज

जिस सर्वे नंबर की भूमि पर यह पूरा मामला सामने आया है, उसका शासकीय रिकॉर्ड खंगालने पर सरपंच के दावों की वास्तविकता स्पष्ट हो जाती है। शासकीय रिकॉर्ड के अनुसार सर्वे नंबर 1784/2 कुल 8 हेक्टेयर शासकीय भूमि है, जो शासकीय भवन मद हेतु सुरक्षित दर्ज है।

उक्त भूमि में से 2 हेक्टेयर भूमि वेयरहाउस के लिए आबंटित है, जबकि 10 आरा भूमि सोसायटी को खाद गोदाम के लिए दी गई है। डेढ़ हेक्टेयर भूमि गाड़लिया समाज को आबादी हेतु आबंटित की गई है, जिस पर वर्तमान में गाड़लिया समाज निवास कर रहा है। शेष 4.40 हेक्टेयर भूमि खाली है और शासकीय भवन मद हेतु सुरक्षित है।

इसी शेष भूमि को आबादी भूमि का हिस्सा बताकर ग्राम पंचायत ने कुछ लोगों को पट्टों के नाम पर बेच दिया और कथित रूप से मोटी रकम वसूल ली।

दबाव में दिया कब्जा, रातों-रात लोगों ने लगा दिए शेड

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लोगों को वर्ष 2023 में पट्टे जारी किए गए थे और केवल भूमि का स्थान बता दिया गया था, लेकिन किसी को भी वास्तविक कब्जा नहीं दिया गया। पिछले वर्ष ऐसे ही एक विवाद में पंचायत को समझौते के तहत शिकायतकर्ता की राशि लौटानी पड़ी थी, क्योंकि दोनों पट्टाधारियों को भूमि उपलब्ध नहीं करवाई जा सकी थी।

इसके बाद सर्वे नंबर 1784/2 पर पट्टा प्राप्त लोगों ने लगातार ग्राम पंचायत पर कब्जा दिलाने का दबाव बनाया। अंततः ग्राम पंचायत ने कथित रूप से रातों-रात पट्टाधारियों को भूमि पर कब्जा दिला दिया। इसकी शिकायत होने पर राजस्व विभाग ने कार्रवाई करते हुए शासकीय भूमि पर हुए निर्माणों को अतिक्रमण मानकर जेसीबी से हटवा दिया।

इसके बाद पट्टों के नाम पर हुई कथित धोखाधड़ी का मामला उजागर हुआ और पूरे प्रकरण की सामूहिक शिकायत जनसुनवाई के माध्यम से प्रशासन तक पहुंची, जिसकी जांच जारी है।

खुलासे के बाद कार्रवाई के नाम पर लेटलतीफी

पूरा मामला अब लगभग स्पष्ट हो चुका है कि, किस प्रकार शासकीय भूमि को पट्टों की आड़ में बेचा गया। सोशल मीडिया पर कथित लेन-देन और भूमि पर कब्जा दिलाने से संबंधित ऑडियो भी वायरल हो चुकी हैं। प्रशासन के पास लिखित शिकायत भी पहुंच चुकी है, लेकिन जांच के नाम पर मामला आगे बढ़ने के बजाय लंबित दिखाई दे रहा है।

शिकायतकर्ताओं का कहना है कि, पूरे मामले में पुलिस प्रकरण दर्ज हो जाना चाहिए था तथा धारा 40 के तहत सरपंच पर कार्रवाई भी होनी चाहिए थी, लेकिन फिलहाल सभी कार्रवाई जांच के नाम पर अटकी हुई है।

वहीं शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि, मामला सत्ता पक्ष से जुड़े लोगों से संबंधित होने के कारण कार्रवाई को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि उनका कहना है कि वे लगातार इस मामले को उठाते रहेंगे और जहां-जहां आवश्यक होगा, शिकायत कर न्याय की मांग करेंगे।

सारंगी मामले में और भी बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है।

दो माह से गायब नाबालिक को नहीं खोज पाई पुलिस

मामला दर्ज करने में लगा दिए 18 दिन, समझौता नहीं करे इसलिए पुलिस ने लिया शपथ-पत्र

माही की गूंज, पेटलावद।

आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है जहा नाबालिक लड़कियों के भागने ओर अपहरण होने के मामले आम है साथ ही आदिवासी इलाके की भांझगड़ी की परम्परा हैं, जिसके चलते भारतीय कानून में नाबालिको के लिए बने कानूनों का पालन वैसे नहीं किया जाता जैसा कानून की किताब में लिखा गया है। मामला पेटलावद थाना क्षेत्र का है जहां विगत दो माह से घर से गायब नाबालिक लड़की को वापस लाने के लिए उसका पिता व परिवार परेशान है। पेटलावद के राम मोहल्ला निवासी रमेश की नाबालिक पुत्री प्रियंका (बदला हुआ नाम) घर से 17 अप्रैल से गायब है। लड़की के पिता ने 17 अप्रैल को ही थाने में आवेदन देकर इसकी रिपोर्ट दर्ज करा दी गई थी। साथ ही शंका के आधार पर उन लोगों के नामजद आवेदन दिया जो लड़की को भगाकर ले गए लेकिन पुलिस ने नाबालिक अपराध के लिए बने कानून को अनदेखा कर मामला दर्ज नहीं किया। तथा लड़की के घर से गायब होने के 18 दिन बाद दिनांक 5 मई को अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया।

समझौता नहीं करने के लिए पुलिस ने लड़की के पिता से लिया शपथ-पत्र

पीड़ित पिता ने बताया कि, वो लड़की की खोजबीन के लिए दो माह से परेशान है लेकिन लड़की अब तक नहीं मिली है। रिपोर्ट दर्ज करने से पूर्व पुलिस ने स्टाम्प पर शपथ-पत्र लिख कर लिया कि ,वो विपक्षी पर कानूनी कार्यवाही चाहता है और इस संबंध में मेरे द्वारा कोई समझौता नहीं किया जाएगा। चुकी ज्यादातर ऐसे मामलों में दोनों पक्ष आपस में समझौता कर मामला खत्म कर देते है और परेशान पुलिस को होना पड़ता है, पुलिस ने इस प्रकार का शपथ-पत्र लिया हो लेकिन रिपोर्ट दर्ज होने ओर शपथ पत्र देने के बाद भी अब तक लड़की नहीं मिलने से पिता ओर परिवार परेशान होकर थाने ओर एसडीओपी(पुलिस) कार्यालय के चक्कर लगा रहा है।

मौका मिलते ही लड़की ने पिता को किया फोन, इंदौर पहुंचे तब तक निकल गए

पीड़ित रमेश ने बताया कि लगभग 7 जून को मेरी लड़की को मौका मिला तो उसने इंदौर से किसी बाबू भाईजान के नंबर से फोन कर घर आने की बात कही। जब फोन आया तब में थाने में ही था ओर इसकी जानकारी पुलिस को दी। लोकेश के आधार पर पुलिस के साथ चंदन नगर इंदौर भी पहुंचे लेकिन लड़का अजय पिता राजू मचार निवासी बनी मेरी लड़की को लेकर निकल गया, जहां वो किराए से निवास कर रहे थे उनका सामान उस कमरे में मिला। रमेश ने बताया तब से लेकर अब तक पुलिस मेरी बेटी का पता नहीं लगा पाई।

आपसी विवाद में पिता को भेजा जेल

नाबालिक लड़की के नहीं मिलने से परेशान पिता को इस दौरान जेल भी जाना पड़ा। रमेश के अनुसार परिवार में मकान निर्माण को लेकर आपसी विवाद हुआ था। दोनों पक्ष मामले को लेकर थाने पहुंचे, पुलिस ने बिना किसी मौका जांच के दोनों पक्षों पर 151 का मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश करा जहां से जेल भेज दिया गया। रमेश का आरोप है कि, कोई बड़ा विवाद नहीं था भाई के द्वारा मकान निर्माण के दौरान मेरे मकान को नुकसान होने की स्थिति में मेरे द्वारा आपत्ति ली थी। पुलिस के पास मामला पहुंचा तो पुलिस ने मेरे द्वारा मेरी लड़की की गुमशुदगी को लेकर मेरे द्वारा की गई सीएम हेल्पलाइन की शिकायत के चलते मेरे विरुद्ध प्रकरण बनाया।

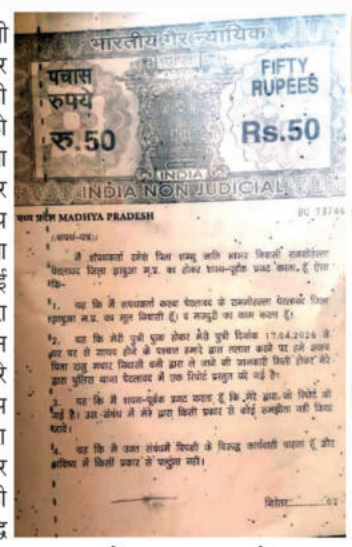

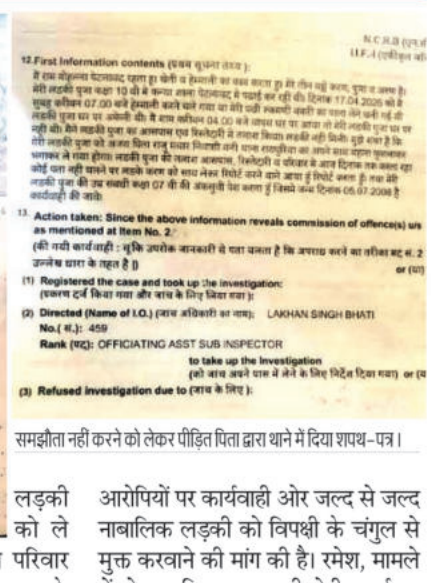

समझौता नहीं करने को लेकर पीड़ित पिता द्वारा थाने में दिया शपथ-पत्र।

आरोपी पक्ष के घर वाले फरार, बना रहे समझौते का दबाओ

लड़की के पिता रमेश ने बताया कि, मेरी लड़की को ले जाने वाला अजय ओर उसका परिवार फिलहाल गांव में नहीं है लेकिन उसके परिवार के लोग मामले में समझौता करने का दबाव बना रहे है ओर पुलिस भी शायद उसी का इंतजार कर रही है। जबकि रमेश ने समझौते की संभावना से इंकार करते हुए आरोपियों पर कार्यवाही ओर जल्द से जल्द नाबालिक लड़की को विपक्षी के चंगुल से मुक्त करवाने की मांग की है। रमेश, मामले में दो बार शिकायत एसडीओपी कार्यालय (पुलिस) पेटलावद में ओर सीएम हेल्पलाइन पर भी कर चुका है, कार्यवाही नहीं होने पर पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाने के लिए झाबुआ जाने की बात कही है।

जाहिर सुचना

मैं शपथकर्ता शपथपूर्वक कथन करता हूँ कि :-
मेरा नाम - मांगू कटारा
पिता का नाम - श्रीमान भीमजी कटारा
धंधा - कृषि
आधार नं. - 5382-5179-6321
निवासी - ग्राम रत्री, तह. थांदला, जिला झाबुआ, म.प्र.।

01 - मैं शपथकर्ता शपथपूर्वक कथन करता हूँ की मेरा नाम - मांगू पिता भीमजी कटारा निवासी ग्राम रत्री तह. थांदला, जिला-झाबुआ म.प्र. का मूल निवासी हूँ।
02 - मुझ शपथकर्ता की पुत्री का नाम रानू कटारा है जो कि सत्य है।
03 - मुझ शपथकर्ता की पुत्री रानू कटारा का जन्म प्रमाण-पत्र के अनुसार नाम रानू कटारा एवं जन्म दिनांक 10-09-2011 है। जन्म प्रमाण-पत्र पंजीकरण संख्या 814 है।
04 - मुझ शपथकर्ता की पुत्री का नाम कक्षा 8 वीं अंक सूची के अनुसार भी रानू कटारा है।
05 - किन्तु मुझ शपथकर्ता की पुत्री का आधार क्र. 3539-2703-7673 है। उक्त आधार कार्ड में नाम - रीना कटारा (RINA KATARA) है जो कि असत्य है।
06 - मुझ शपथकर्ता द्वारा अपनी पुत्री का सही नाम आधार कार्ड में सही नाम दर्ज करवाने हेतु यह शपथ पत्र पेश है।

जन्म का नाम - रानु कटारा (RANU KATARA)
पिता का नाम - मांगू कटारा (MANGU KATARA)
माता का नाम - लीला कटारा (LILA KATARA)
जन्म दिनांक - 10-09-2011

इति दिनांक - 18/06/2026 शपथकर्ता मांगू कटारा

//सत्यापन//
मेरे द्वारा दी गई समस्त जानकारी मेरे निजी ज्ञान में होकर सत्य है। यदि किसी प्रकार की कोई त्रुटि पाई जाती है तो समस्त जवाबदारी मुझ शपथकर्ता की रहेगी।
इति दिनांक - 18/06/2026 शपथकर्ता मांगू कटारा

संपादकीय

फोन तोड़ना बड़े संकट का छोटा समाधान

आज स्मार्टफोन के बच्चों व किशोरों पर पड़ने वाले घातक प्रभावों से पूरी वैश्विक बिरादरी फिक्रमंद है। लाइलाज मर्ज बनती इस लत के खिलाफ परंपरागत समाजों व विकासशील देश ही नहीं, बल्कि आस्ट्रेलिया, फ्रांस,ब्रिटेन आदि विकसित देशों में भी एक उम्र के बाद ही स्मार्ट फोन के इस्तेमाल करने के लिए कानून बन रहे हैं। सोशल मीडिया के जनक अमेरिका में सोशल मीडिया कंपनियों के खिलाफ अदालतों में मोटे मुआवजे वसूले गए हैं। इसी बीच हरियाणा के नूंह जिले के सुखपुरी गांव में एक अभिनव पहल हुई है। यूं तो स्मार्टफोन आज आवश्यक बुराई बनते जा रहे हैं, लेकिन सुखपुरी के दुख अलग हैं। गांव की पहचान साइबर क्राइम के हब के रूप में होने लगी है। आये दिन गांव में पुलिस की दस्तक से उन्हें बदनामी महसूस होती है। उनका कहना है कि इस गांव के कुछ युवाओं के साइबर क्राइम में शामिल होने के आरोपों के चलते बाहरी ग्रामीण गांव में रिश्ते करने से कतरा रहे हैं। गांव में पंचायत प्रतिनिधियों ने अधिकारियों के सामने 55 मोबाइल हैंडसेट पटककर तोड़ दिए। उनका मकसद गांव को साइबर क्राइम हब के दाग से मुक्त कराना था। ग्रामीणों ने जरूरत के लिये बेसिक फोन इस्तेमाल करने का फैसला लिया है। बताते हैं कि नूंह क्षेत्र के 57 गांवों के लोगों ने भी ऐसी पहल करने का निर्णय लिया है। वहीं दूसरी ओर युवा पीढ़ी में बड़े-बुजुर्गों के फैसले के खिलाफ गुस्सा है। उनका मानना है कि इस फैसले से उनकी आर्थिक प्रगति बाधित होगी। कई लोग ऐसे हैं जिनकी कमाई पूरी तरह डिजिटल प्लेटफॉर्मों पर निर्भर है। उनकी दलील है कि महज कुछ लोगों की गलती की सजा पूरी पीढ़ी को नहीं दी जा सकती। वे ऑनलाइन पढ़ाई व स्कॉलरशिप पोर्टल से कट जाएंगे। वहीं यूपीआई पेमेंट समेत ऑनलाइन भुगतान के तौर-तरीके बाधित होंगे। लेकिन सुखपुरी के लोगों के गांव का नाम साइबर क्राइम से जुड़ने के दुख को भी समझने की जरूरत है।

सही मायने में आज जरूरत एक बीच का रास्ता तलाशने की है। ताकि साइबर क्राइम में युवाओं के लिप्त होने से गांव की बदनामी भी न हो, और डिजिटल गतिविधियां भी चलती रहें। निस्संदेह, तकनीक को धोखा देने और गैर-कानूनी फायदा उठाने का जरिया नहीं बनने दिया जाना चाहिए। नियामक एजेंसियों को सामुदायिक नेताओं की मदद से ऐसे लोगों पर अंकुश लगाना चाहिए, जो अक्सर साइब्रर फॉड, सेक्सटॉर्शन और ऑनलाइन स्कैम में लिप्त रहते हैं। वाकई आज स्मॉर्ट फोन दुधारी तलवार बन गए हैं। ऐसा जिन्न, जिसमें अच्छाई भी है और बुराई भी। जिसकी वजह से तुरंत पैसा कमाने के फेर में युवा साइबर अपराधों में लिप्त हो जाते हैं। सवाल केवल साइबर अपराधों का ही नहीं है, सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्मों में अश्लील सामग्री का बोलबाला है। जिससे किशोर व युवा पथभ्रष्ट हो रहे हैं। कई तरह की भाषाई विकृतियां सामने आ रही हैं। समय व पैसा बचाने के लिये शादियों के कार्ड व्हाट्स ऐप के जरिये भेजने का प्रचलन तो बढ़ा है, लेकिन इससे विवाह समारोह के आमंत्रण की गरिमा व प्रतिष्ठा प्रभावित हुई है। ये स्पष्ट है कि आज स्मॉर्ट फोन सिर्फ मनोरंजन का जरिया नहीं हैं, बल्कि ये शिक्षा, बैंकिंग,सरकारी सेवाओं, रोजगार के मौके तलाशने व वीडियो कॉलिंग का जरिया भी हैं। ऐसे समय में, जब गांवों में सामाजिक और आर्थिक उन्नति के लिये डिजिटल कनेक्टिविटी अपरिहार्य है, स्मार्टफोनों के उपयोग से युवाओं को पूरी तरह से वंचित नहीं किया जा सकता। डिजिटल दौर में उन युवाओं के भी अलग-थलग पड़ने की आशंकाएं हैं, जिनका भविष्य बचाने के लिये यह पहल की जा रही है। दरअसल, मुद्दा स्मॉर्ट फोन डिवाइस का नहीं है, बल्कि इसके गलत इस्तेमाल का है। जिसे समाज में बढ़ती बेरोजगारी, कौशल की कमी और रातों-रात अमीर बनने की चाह बढ़ावा देती है। ऐसे कृत्यों के कानूनी नतीजों से युवाओं को जागरूक करने की जरूरत है। इस संकट के मूल को तलाशकर, उसका उपचार करना जरूरी है। आवश्यकता डिजिटल दुनिया से कटने की नहीं, बल्कि साइबर साक्षरता व डिजिटल जिम्मेदारी को बढ़ावा देने की है। बहरहाल, सुखपुरी की सामूहिक कार्रवाई और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना का सम्मान किया जाना चाहिए।

कॉकरोची सवाल व शिक्षा के असली संकट

एक काल्पनिक स्थिति के बारे में सोचिए। सत्ताधारी सरकारकृजो लोगों की बात सुनने की कला के लिए विशेष तौर पर नहीं जानी जातीकृउसने 'कॉकरोच जनता पार्टी' की मांगों को गंभीरता से लिया है। कल्पना कीजिए कि संबंधित केंद्रीय मंत्री ने अपनी अंतरात्मा की आवाज फिर पा ली और उन्होंने इस्तीफा दे डाला। कल्पना कीजिए कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (केंद्रीय परीक्षा एजेंसी) के अधिकारी ईमानदारी और निष्ठा से काम करने लगे हैं। कल्पना कीजिए कि बारम्बार की पेपर लीक घटनाएं अतीत की बात हो गई हैं और नीट जैसी मानकीकृत कर दी गईं परीक्षाएं सुचारु रूप से आयोजित हो रही हैं। क्या यह आवश्यक तौर पर संकेत है कि ऐसी काल्पनिक परिस्थिति में शिक्षा के मुख्य चलन के साथ सब चीजें ठीक हो जाएंगी? इसका साफ जवाब है 'नहीं'। असल में, हमें यह समझने के लिए गहराई में जाने की जरूरत है कि शिक्षा की मौजूदा संस्कृति में जो बीमारी व्याप्त है, वह सिर्फ पेपर लीक होने या संबंधित अधिकारियों की गैर-जिम्मेदाराना हरकत तक सीमित नहीं है।

सर्वप्रथम, अब समय आ गया है कि हममें से कुछ लोग खुलकर कहें कि नीट, जेईई या सीयूईटी जैसी एमक्यूएम-आधारित मानकीकृत परीक्षाओं का सिद्धांत ही सबसे अधिक समस्या है। असल में, मुझे यह कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि इन मानकीकृत परीक्षाओं की तैयारी करने की प्रक्रिया ही दिमाग को एक खास सांचे में ढाल देती है, सोचने-समझने के दायरे को सीमित कर देती है और आलोचनात्मक सोच एवं रचनात्मक कल्पनाशीलता की क्षमता को कुंद कर देती है। अगर आप ध्यान से देखें तो, भौतिकी का छात्र अपने स्कूल की भौतिकी प्रयोगशाला में इसलिए जाने से कतराता है क्योंकि उसे कोचिंग सेंटर के 'रणनीतिकार' से पढ़ना और ओएमआर शीट पर जितनी जल्दी हो सके 'सही' जवाब पर टिक लगाने की तकनीक सीखना ज्यादा भाता है।

जब शिक्षा केवल मानकीकृत परीक्षाओं का प्रशिक्षण बनकर रह जाए तो विद्यालयकृजो कि गहन सीखने-सिखाने की जगह होते हैंकृधीरे-धीरे अप्रासंगिक हो जाते हैं। वे सभी चीजें जो स्कूली शिक्षा को जीवंत और आनंदमय बना सकती थींकृजैसे कि भौतिकी और जीव-विज्ञान प्रयोगशाला में विज्ञान के प्रयोगों से पैदा होने वाली जिज्ञासाय स्कूल लाइब्रेरी में नई किताबें पढ़ने और उन्हें छूने का बेपनाह आनंदय कक्षा में होने वाली गहन चर्चा और बहसय और खेल, संगीत व थिएटर का रोमांचकृसब अप्रासंगिक हो जाते हैं। इसके बजाय, जो बचता है वह है 'डमी स्कूलों' की कठोर सच्चाई, कोचिंग सेंटरों का दबाव और शारीरिक रूप से थके हुए एवं मानसिक रूप से आहत किशोरों की बेचैनी, जिन्हें फुटबॉल खेलने, कोई अच्छा उपन्यास पढ़ने या लंबी सैर पर जाने के लिए शायद ही कोई 'फालतू' समय मिल पाता है। इसके अलावा, बार-बार होने वाली अभ्यास परीक्षाएं, जिनसे कोचिंग 'गुरु' लगातार छात्रों की 'गति' और 'कौशल' मापते हैं, उनके बचपन के सुनहरे सालों को बर्बाद कर देते हैं। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि वे अपने माता-पिता के सामने अपनी 'काबिलियत' साबित करने की कभी न खत्म होने वाली चिंता में जीते हैं, मां-बाप के लिए बच्चों के लिए 'सफलता' ही उनकी इज्जत का मोल बन जाती है।

असल में, कोई भी समझदार शिक्षक और शिक्षाविद? यही कहेगा कि प्रशिक्षण का यह तरीका एक ऐसी मशीनी और बंधी-बंधाई सोच वाली मानसिकता बनाता है जो बच्चों में अस्पष्टताओं, जटिलताओं और बारीक बातों को समझने या उनके साथ जीने में पूरी तरह नाकाम कर देती है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस बेचैन पीढ़ी को कई तरह की मानसिक स्वास्थ्य समस्याएंकृजैसे कि अवसाद, अकेलापन और आत्महत्या के ख्यालोंकृका सामना करना पड़ रहा। इस बीच, भारत का 'स्याह' शिक्षा तंत्रकृयानी कोचिंग फैक्टरियांकृचोखा धंधा कर रहे हैं।

दूसरी बात, भले ही सब कुछ विवादों से मुक्त लगे, लेकिन सच तो यह है कि नीट या जेईई जैसी मानकीकृत परीक्षाएं कभी भी निष्पक्ष नहीं होतीं। वर्गों और जातियों में बंटे हमारे जैसे समाज में, जहां सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक समृद्धि के आधार पर तमाम किस्म की असमानताएं मौजूद हैं, कोई भी मुकाबला निष्पक्ष नहीं हो सकता।

यह समझने के लिए किसी को समाज विज्ञानी होने की जरूरत नहीं है कि ग्रामीण सरकारी स्कूल के किसी गरीब या निम्न-मध्यम वर्गीय लड़के के मुकाबले, किसी अमीर और ऊंचे रसूख वाले परिवार का बेटाकृजो किसी ब्रांडेड कोचिंग सेंटर से खास ट्रेनिंग का खर्च उठा सकता हैकृवह मुक़ाबला पहले ही जीत चुका होता है। भले ही कभी-कभार आप और मैं किसी टैक्सी ड्राइवर के बेटे या गरीब किसान की बेटी के नीट या जेईई जैसे अहम इम्तिहान पास करने की असाधारण कहानी अपवादवश सुनते हों, लेकिन कड़वा सच यह है कि ये सभी इम्तिहान निष्पक्ष होने के बजाय, समाज में पहले से मौजूद सामाजिक और आर्थिक असमानता को ही बढ़ावा देते हैं। इसलिए मान लेना चाहिएरू एक निष्पक्ष मुकाबले का विचार महज भ्रम है, और इसलिए, मेरिटोक्रेसी (योग्यता-आधारित व्यवस्था) के तर्क वाली इस व्यवस्था को सही ठहराने का कोई कारण नहीं बनता।

और आखिर में, इस पूरी बीमारी को तब तक ठीक से नहीं समझा जा सकता जब तक हम यह न देखें कि कैसे नव-उदारवाद की 'मशीनी' सोच ने शिक्षा की लोकतांत्रिक और आजाद बनाने वाली क्षमता को खत्म कर डाला है। जैसे-जैसे बाजारवाद का सिद्धांत हावी हो रहा है, शिक्षा सिर्फ ऐसी नौकरियों के लिए प्रशिक्षण बनकर रह गई है जो टेक्नो-कॉर्पोरेट मशीन की आर्थिक उत्पादकता बढ़ाती हैं। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि हम लिबरल आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज (मानविकी) विषयों की निरंतर गिरती अहमियत देख रहे हैंय हमने लगभग यह मान लिया है कि देश को अच्छे इतिहासकारों, मानव-विज्ञानियों, दार्शनिकों, कलाकारों, पत्रकारों या फिल्म निर्माताओं की जरूरत नहीं हैय ऐसा लगता है कि देश को सिर्फ ए` स` आज्ञाकारी इंजीनियरों या ट`क नो-मैनेजरों की जरूरत है जो बिना किसी आलोचनात्मक सोच के अपने कॉर्पोरेट मालिकों की नौकरी कर सकें, या ऐसे लालची डॉक्टरों की जो प्राइवेट सुपर-स्पेशियलिटी अस्पतालों में नौकरी करें और स्वास्थ्य या इलाज को एक महंगी वस्तु की भांति बेचें।

अजित पाठक

कोई हैरानी नहीं कि महत्वाकांक्षी वर्ग मुनाफा कमाने वाले इन पेशों (जिन्हें अक्सर 'प्लेसमेंट और सैलरी पैकेज' के तौर पर मापा जाता है) को जो एकतरफा अहमियत देता है, उसने नीट और जेईई जैसी मानकीकृत परीक्षा को जीवन-मरण का सवाल बना दिया है। चाहे पेपर लीक हो या न हो, पूरी प्रक्रिया ही बीमारू है।

खैर, यह देखकर अच्छा लगा कि 'कॉकरोच जनता पार्टी' ने सिर्फ आभासीय सनसनी बने रहने के बजाय अपनी भौतिक मौजूदगी भी पेश की। फिर भी, इस पार्टी की रीढ़ माने जाने वाले युवाओं को हमारी शिक्षा व्यवस्था के संकट की गंभीरता को समझने के लिए और गहराई में जाने की जरूरत है। उन्हें राजनीतिक और सामाजिक नजरिए से सोचना होगा और यह समझना होगा कि 'जेन जेड' सिर्फ एक जैसे मीडिया-प्रेमीध्अंग्रेजी बोलने वाले लोगों का समूह न रहे, बल्कि इसमें मुंबई की झुग्गी-बस्ती का एक दलित लड़का या झारखंड के दूर-दराज गांव की एक आदिवासी लड़की की भागीदारी भी हो, जो नीट या जेईई जैसी परीक्षा की तैयारी के बारे में सोच भी नहीं सकते।

कमजोर मानसून का विकास दर पर असर

आरबीआई द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति पर जारी हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि दक्षिण-पश्चिम मानसून के कमजोर रहने से देश की कृषि और विकास दर पर असर पड़ सकता है। इस समय जून माह में समय से पीछे चल रहे मानसून ने खरीफ फसलों को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। अभी तक करीब 42 प्रतिशत बारिश कम होने से नकदी फसलें कपास और सोयाबीन बुवाई के आरंभिक दौर में पिछड़ गई हैं।

ऐसे में कृषि तथा अर्थव्यवस्था के सामने अल-नीनो और कमजोर मानसून से सूखे की आशंका तथा महंगाई की चुनौतियां उभरकर दिखाई दे रही हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के विश्व मौसम विभाग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि वर्ष 2026 में भारत अल-नीनो से अत्यधिक प्रभावित होगा। कमजोर मानसून और सूखे की स्थिति कृषि, जल आपूर्ति और महंगाई के परिदृश्य पर चुनौतियां निर्मित करते हुए दिखाई देगी।

इससे पहले वर्ष 2015 में भारत में अत्यधिक कम बारिश रिकॉर्ड की गई थी, उस समय मानसून सामान्य से लगभग 13 प्रतिशत कम था। इस वर्ष मानसून के दौरान अल-नीनो की स्थिति मजबूत होने की वजह से बारिश अत्यधिक कम होगी। इतना ही नहीं, जलाशयों के सूखने और खेती के लिए पानी की कमी की चिंता बढ़ गई है। यह परिदृश्य भारत द्वारा वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान लक्षित विकास दर को बनाए रखने के लिए एक चुनौती दिखाई दे रहा है।

नीति आयोग के मुताबिक देश के कुल फसल रकबे का केवल 55 प्रतिशत सिंचित है और 45 प्रतिशत खेती मानसून पर निर्भर है। सीडब्ल्यूएमआई के अनुसार, लगभग 74 प्रतिशत गेहूं और 65 प्रतिशत चावल की खेती वाले क्षेत्र पहले से ही भारी जल-संकट का सामना कर रहे हैं। व्यावसायिक फसलों और औद्योगिकीकरण की ओर बढ़ते रुझान से भारत में मानसून की वर्षा पर निर्भरता बढ़ी हुई है। मौजूदा परिदृश्य देश के वर्तमान सुकूनदायक कृषि क्षेत्र के समक्ष एक चुनौती बनकर दिखाई दे रहा है। कम बारिश से जलाशयों में पानी का स्तर गिरने से सिंचाई और पीने के पानी की उपलब्धता प्रभावित होगी, ऐसे में अभी से जल संरक्षण के प्रयास शुरू होने चाहिए। भारत को फसल विविधीकरण और खेती में आधुनिक तकनीक के एकीकरण के साथ आगे बढ़ना होगा।

कमजोर मानसून और अल-नीनो के खतरे के पूर्वानुमान के बीच खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए खाद्य भंडारण को मजबूत करना होगा। भारत में अनाज का रिकॉर्ड उत्पादन एक 'सुरक्षा कवच' की तरह है। यह बात भी महत्वपूर्ण है कि वर्ष 2008 की वैश्विक मंदी में भी भारत की अर्थव्यवस्था खाद्यान्न ताकत के कारण बहुत कम प्रभावित हुई। इतना ही नहीं, कोरोना से जंग में देश के खाद्यान्न भंडार देश के लिए हथियार बन गए थे। इसलिए गेहूं के आगामी किसी भी नए निर्यात आदेश की पूर्ति के लिए सजगता रखनी होगी।

चूंकि इस साल खरीफ सीजन की बुवाई शुरू से ही कम रहने से देश के किसानों और नीति-निर्माताओं की चिंताएं बढ़ गई हैं। मौसम विभाग के अनुसार देश के कई हिस्सों में पिछले 10 सालों का सबसे खराब और सूखा मानसून देखने को मिल सकता है। अल-नीनो के बढ़ते असर को देखते हुए केंद्र सरकार ने 1 जून, 2026 से देशव्यापी 'खेत बचाओ' अभियान के तहत रणनीतिपूर्वक कदम बढ़ाए हैं। इसके तहत किसानों को उनके इलाके और फसल के हिसाब से खास सलाह दी जा रही है, ताकि वे मौसम के जोखिमों को समझकर सही निर्णय ले सकें। इसके साथ-साथ किसानों को उनके इलाके के मौसम, वहां की मिट्टी और बाजार की मांग के हिसाब से कृषि उत्पादन संबंधी व्यावहारिक मार्गदर्शन भी दिया जा रहा है। सरकार ने एक व्यापक और सहयोगी ढांचा तैयार किया है। इस अभियान में स्थानीय पंचायतों, राज्य सरकारों, कृषि विज्ञान केंद्रों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों और स्थानीय कृषि विभागों को एक साथ जोड़ा गया है। कृषि मार्गदर्शन की पहुंच मजबूत करने के लिए 1,600 से ज्यादा विशेष टीमें बनाई गई हैं। ये टीमें खेतों में जाकर किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड और पीएम-किसान जैसी योजनाओं का लाभ दिलाने में मदद भी करेंगी। इसके साथ ही दालों और तिलहनों के उत्पादन को बढ़ाने, ऑयल पाम की खेती, कॉटन मिशन, सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट और जल संरक्षण जैसे अभियानों को भी इसी अभियान से जोड़कर जागरूकता फैलाई जाएगी।

डॉ. जयंतीलाल भंडारी

न्याय के तराजू पर मशीनों की लाचारी

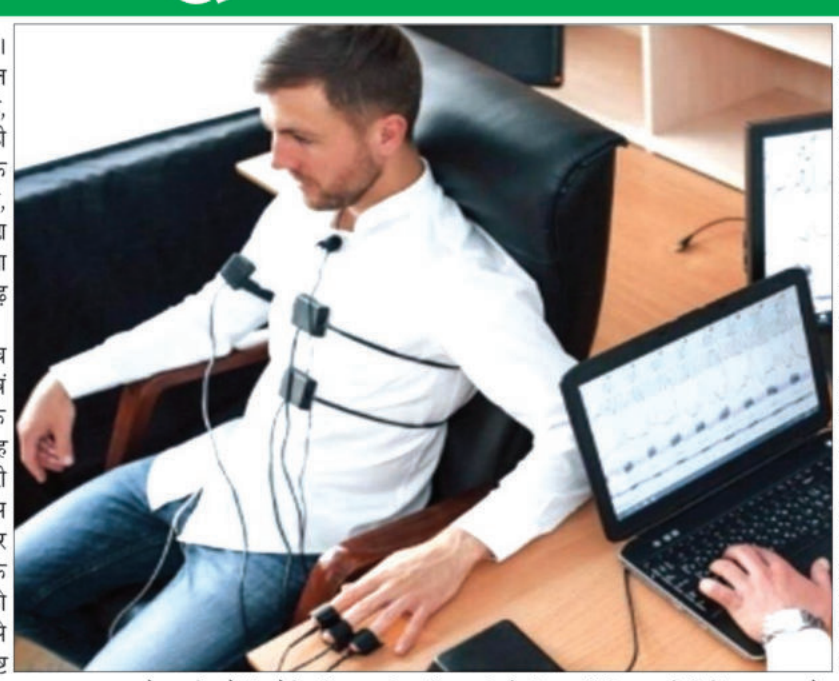

हाल ही में चर्चित हस्तियों और मीडिया जगत में 'नार्को टेस्ट' की मांग को लेकर छिड़ी बहस ने तकनीक की विश्वसनीयता पर फिर प्रश्नचिह्न खड़ा कर दिया है। रौशन आनंद द्वारा खान सर (उर्फ फैजल खान) के संदर्भ में की गई नार्को टेस्ट की मांग, जन-मानस के उस भ्रम को दर्शाती है कि तकनीक ही अपराध का अंतिम समाधान है। लेकिन, न्याय के तराजू पर क्या मशीनें वास्तव में मानवीय सत्य को तोलने में सक्षम हैं?

हाल के वर्षों में निचली अदालतों ने हाई-प्रोफाइल मामलों में पॉलीग्राफ टेस्ट की अनुमति देने में अत्यधिक सावधानी बरती है, जिसमें 'श्रद्धा वाकर हत्याकांड' भी चर्चा का विषय रहा। कानूनी जानकारों और अदालतों का स्पष्ट मत है कि पॉलीग्राफ से प्राप्त मशीनी डेटा 'साक्ष्य' नहीं, बल्कि केवल जांच को दिशा देने वाली 'सहायक सामग्री' है। भारत के 'आरुषि तलवार हत्याकांड' ने यह सिद्ध किया कि ऐसे परीक्षण वैज्ञानिक रूप से निर्णायक नहीं होते और इनके विरोधाभासी परिणाम जांच की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न लगा सकते हैं। सच कड़वा होता है, लेकिन झूठ का नकाब ओढ़ना आसान है। अक्सर 'पॉलीग्राफ' को झूठ पकड़ने का अचूक हथियार माना जाता है, जबकि कानून और मनोविज्ञान के नजरिए से यह अत्यंत विवादास्पद है। मनोविज्ञान के अनुसार झूठ पकड़ना विज्ञान नहीं बल्कि एक कला हैय फिल्मों में पसीना आना या नजरें चुराना झूठ की निशानी माना जाता है, पर असल जीवन में यह घातक हो सकता है। मनोविज्ञान में इसे 'ओथेलो एरर' कहा जाता है - जहां एक निर्दोष व्यक्ति का स्वाभाविक डर, पसीना आना या घबराहट जांचकर्ताओं को 'झूठ' का प्रमाण प्रतीत होता है। याद रहे, मशीनें केवल शारीरिक तनाव को मापती हैं, मानवीय संवेदनाओं या सत्य को नहीं। 'कॉग्निटिव लोड' की पहचान केवल एक प्रशिक्षित विशेषज्ञ का काम है, किसी जादुई मशीन का नहीं। ठीक यही स्थिति पूछताछ के दौरान होती हैय एक निर्दोष व्यक्ति भी पुलिस के माहौल, पूछताछ के दबाव या अपनी प्रतिष्ठा खोने के डर से घबरा सकता है, पसीना छोड़ सकता है या उसकी हृदय गति बढ़ सकती है।

संयुक्त राज्य अमेरिका में एल्ड्रिच एम्स (सीआईए अधिकारी एवं सोवियत जासूस) और 'बीटीके किलर' (डेनिस राडर) जैसे मामले यह स्पष्ट करते हैं कि पॉलीग्राफ परीक्षण पूरी तरह विश्वसनीय नहीं हैं। एल्ड्रिच एम्स जैसे जासूसों ने तनाव नियंत्रित कर पॉलीग्राफ को वर्षों तक छला, जबकि बीटीके किलर जैसे अपराधियों को डीएनए और डिजिटल फॉरेंसिक जैसे ठोस साक्ष्यों ने ही बेनकाब किया। स्पष्ट है कि पॉलीग्राफ केवल एक 'संभावना' जता सकता है, निश्चितता नहीं। प्रशिक्षित अपराधी अपनी शारीरिक प्रतिक्रियाओं पर काबू पाकर इन मशीनों को आसानी से विफल कर सकते हैं, अतः ये तकनीकें कभी भी सत्य का अंतिम पैमाना नहीं हो सकतीं।

सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य (2010) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पॉलीग्राफ, नार्को-एनालिसिस और ब्रेन मैपिंग जैसे परीक्षण व्यक्ति की सहमति के बिना नहीं किए जा सकते। कोर्ट ने इसे निजता के अधिकार और संविधान के अनुच्छेद 20(3) के तहत प्राप्त 'आत्म-दोषारोपण के विरुद्ध अधिकार' का उल्लंघन माना है। इस मौलिक अधिकार का अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाह बनने या खुद को दोषी ठहराने वाले बयान देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। कानूनन इन परीक्षणों के परिणाम सीधे 'साक्ष्य' नहीं माने जा सकतेय इन्हें केवल जांच में दिशा देने वाले एक 'सुराग' के रूप में ही इस्तेमाल किया जा सकता हैय विशेषकर डिजिटल युग में, जहां व्यक्तिगत डेटा और मस्तिष्क की निजता पर बड़ा संकट है, नार्को-एनालिसिस जैसे परीक्षणों को विज्ञान की आड़ में अनैतिक प्रयोग बनने से रोकना, न्यायपालिका की सर्वोपरि जिम्मेदारी है।

कनाडा के सुप्रीम कोर्ट ने इसे भ्रमित करने वाला मानकर खारिज किया है, तो इस्राइल में इसे दीवानी मामलों में अमान्य करार दिया गया है। यूरोप में इसे मानवाधिकारों का उल्लंघन माना जाता है, जबकि अमेरिका और जापान जैसे देशों में इसकी भूमिका बेहद सीमित है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी इन परीक्षणों में वैधता का अभाव है, जिसके कारण इन्हें अक्सर 'छद्म विज्ञान' की श्रेणी में रखा जाता है।

पॉलीग्राफ मशीनों की बड़ी सीमा यह है कि वे 'सच' नहीं, केवल हृदय गति जैसे 'शारीरिक तनाव' को मापती हैं, जिसका कारण घबराहट या पुरानी यादें भी हो सकती हैं। यह एक 'फॉल्ट डिटेक्टर' है, न कि 'ट्रुथ डिटेक्टर', क्योंकि प्रशिक्षित अपराधी आसानी से अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित कर इसे विफल कर सकते हैं। अतः वैज्ञानिक और कानूनी दृष्टि से ये मशीनें सत्य का अंतिम पैमाना नहीं हैंय इसके विपरीत, एक अनुभवी विशेषज्ञ ही अपराधी के उन सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक संकेतों और व्यावहारिक बारीकियों को पकड़ सकता है, जिन्हें छिपाना लगभग असंभव होता है।

डॉ. सुधीर कुमार

मशीनों पर आंख मूंदकर विश्वास करना न्याय की मूल भावना के लिए खतरनाक है। हालांकि तकनीक जांच में एक उपयोगी 'सहायक' हो सकती है, लेकिन मशीनें मानवीय संवेदनाओं और जटिल परिस्थितियों को समझने में अक्षम हैं, इसलिए उन्हें 'अंतिम निर्णायक' नहीं माना जाना चाहिए। न्याय व्यवस्था में सुधार के लिए हमें फॉरेंसिक मनोविज्ञान और 'व्यवहार विश्लेषण' पर अधिक निवेश करने की आवश्यकता है। जब जांच में मशीनी डेटा के साथ अनुभवी मनोवैज्ञानिक का विवेक जुड़ता है, तभी परिणाम अधिक विश्वसनीय, तर्कसंगत और मानवीय होते हैं।

यह समय जांच की मानवीय प्रणाली को उन्नत करने का है। यदि हम न्याय को केवल एक 'अल्गोरिद्म' के हवाले कर देंगे, तो वह दिन दूर नहीं जब 'तथ्य' तो सुरक्षित रहेंगे, लेकिन 'न्याय' अपनी आत्मा खो देगा। एक मशीन यह तो बता सकती है कि अपराधी का हृदय कब और कितनी तेज धड़का, लेकिन केवल एक विवेकपूर्ण मस्तिष्क ही यह तय कर सकता है कि उस धड़कन के पीछे अपराध की ठंडी साजिश थी या मासूमियत का भय।

जमशेद लाला व याकूब के अवैध फार्म हाउस को किया ध्वस्त

माही की गूंज, अरनोद (मंदसौर)।

प्रशासन ने ग्राम देवल्दी में तस्कर भाइयों के अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए चरनोई भूमि पर बनाए गए फार्म हाउस और पक्के निर्माण को ध्वस्त करना शुरू कर दिया। राजस्व एवं पुलिस विभाग की संयुक्त कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा।

जानकारी के अनुसार ग्रापं नौगांवा के अंतर्गत ग्राम देवल्दी स्थित आराजी नंबर 260 रकबा 0.45 हेक्टेयर सरकारी चरनोई भूमि पर याकूब पुत्र फकीर गुल खां एवं जमशेद उर्फ जम्मू लाला पुत्र फकीर गुल खां द्वारा फार्म हाउस एवं अन्य निर्माण कर कब्जा कर रखा था। मामले में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज कर तहसीलदार नितिन मेरावत ने 15 मई को अतिक्रमण हटाने के आदेश जारी किए थे।

निर्धारित अवधि में कब्जा नहीं हटाने पर प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई को अंजाम दिया। कार्रवाई के दौरान अरनोद डिप्टी चंद्रशेखर पालीवाल एवं थाना अधिकारी शिवलाल मीणा मौके पर मौजूद रहे। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अरनोद, राजपुरिया, धमोतर, कोटड़ी, हथुनिया एवं प्रतापगढ़ थानों का अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा तथा भविष्य में भी ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

अपराधिक रिकॉर्ड पर भी प्रशासन की नजर

प्रशासनिक दस्तावेजों के अनुसार अतिक्रमण से जुड़े दोनों व्यक्तियों के विरुद्ध विभिन्न थानों में पूर्व में भी कई प्रकरण दर्ज रहे हैं। याकूब पुत्र फकीर गुल खां के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट, आबकारी अधिनियम एवं आर्म्स एक्ट से संबंधित कई मामले दर्ज हुए हैं। इनमें कालूखेड़ा, अरनोद एवं पीपलखूंट थानों के प्रकरण शामिल हैं। वहीं जमशेद उर्फ जम्मू लाला पुत्र फकीर गुल खां के विरुद्ध भी मारपीट, शासकीय कार्य में बाधा, एनडीपीएस एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में अरनोद, प्रतापगढ़ एवं पीपलखूंट थानों में प्रकरण दर्ज रहे हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा तथा भविष्य में भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी।

एमडी ड्रग्स प्रकरणों से भी जुड़ चुका है नाम

थाना अधिकारी शिवलाल मीणा ने बताया कि याकूब और जमशेद का नाम एमडी ड्रग्स तस्करी के चर्चित मामलों में भी जुड़ चुका है। वर्ष 2025 में पीपलखूंट क्षेत्र में मिली एमडी ड्रग्स फैक्ट्री मामले में जमशेद का नाम आया था जबकि याकूब का नाम उजागर होने के बाद वह फरार हो गया था।

फरारी के दौरान तत्कालीन पुलिस अधीक्षक बी. आदित्य द्वारा उसकी गिरफ्तारी पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था। इसके बाद रतलाम जिले के कालूखेड़ा थाना क्षेत्र के चिकलाना गांव में मिली एमडी ड्रग्स फैक्ट्री के मामले में भी याकूब का नाम आया था। इस मामले में रतलाम पुलिस ने कार्रवाई करते हुए याकूब को गिरफ्तार किया हैं।

वर्तमान में दोनों भाई विभिन्न प्रकरणों में जले में हैं। मादक पदार्थ तस्करी से अर्जित कथित अवैध संपत्तियों की जांच के दौरान अरनोद पुलिस ने याकूब की पत्नी के नाम जावरा स्थित हुसैन टेकरी क्षेत्र में संचालित होटल को भी चिन्हित किया था।

जांच एजेंसियों द्वारा संपति को फ्रीज करने की कार्रवाई की गई थी। थाना अधिकारी मीणा ने बताया कि देवल्दी में दो बार अवैध संपतियों पर बुलडोजर पहले चल चुके हैं।

विधायक से डरा प्रशासन

माही की गूंज, रतलाम।

एमपी के रतलाम में बुधवार को तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। सैलाना के विधायक कमलेश्वर डोडियार द्वारा अपने साथियों के साथ कलेक्टोरेट आने के पहले पुलिस और जिला प्रशासन ने शहर के चारों तरफ नाकाबंदी कर दी थी। विधायक पर लगे गंभीर आरोपों के कारण जिले की राजनीति गरमा गई है। रतलाम के शिवगढ, बाजना और सैलाना के डंपर तथा ट्रैक्टर मालिकों ने सैलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार पर पद के दुरुपयोग और अवैध वसूली के गंभीर आरोप लगाए हैं। एसडीएम तरुण जैन को ज्ञापन सौंपते हुए विधायक के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कार्रवाई कर आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध करने की मांग की थी। इधर दूसरी तरफ विधायक डोडियार का कहना है कि डंपर चालक अवैध खनन कर रहे है। इन पर कार्रवाई जरुरी है। जब प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है तो वे स्वयं जाकर पकड़ रहे है, इसलिए ही हड़कंप है।

डंपर तथा ट्रैक्टर मालिकों द्वारा कलेक्टोरेट में दिए ज्ञापन में बताया गया कि विधायक उनके वाहनों को रोककर प्रति वाहन 50000 की अवैध राशि की मांग कर रहे हैं। राशि न देने पर झूठे मामले दर्ज कराने की धमकी भी दी जा रही है।

बिल्डिंग मटेरियल आपूर्ति का एक मात्र व्यवसाय

मालिकों के अनुसार, उनका एक मात्र व्यवसाय बिल्डिंग मटेरियल की आपूर्ति का है, जो इस अवैध वसूली और उत्पीडन से बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। उन्होंने तत्काल निष्पक्ष जांच और उचित कार्यवाही की मांग की है। ज्ञापन के दौरान विशाल टांक, गोपालसिंह , जितेन्द्र टांक, विकास, विजय सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे।

अवैध खनन कर रहे- विधायक

विधायक कमलेश डोडियार पर लगे आरोपों से रतलाम जिले के खनन और परिवहन क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। विधायक ने आरोपों पर कहा कि कई लोग अवैध खनन कर रहे, इन पर कार्रवाई जरुरी है। सैलाना विधायक कमलेश डोडियार अपने समर्थकों के साथ रतलाम जिला मुख्यालय आ रहे थे इसे देखते हुए शहर में भी जबर्दस्त नाकाबंदी की गई थी। मेडिकल कॉलेज के बायपास पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया थी। जबर्दस्त बैरीकेडिंग भी की गई थी।

खेत के बीच चल रही थी एमडी ड्रग्स बनाने की फैक्ट्री

माही की गूंज, मंदसौर।

जिले में सिंथेटिक ड्रग्स के अवैध कारोबार के खिलाफ चल रही कार्रवाई के बीच मंगलवार को पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की। जिला मुख्यालय से महज पांच किलोमीटर दूर ग्राम बाजखेड़ी में खेत के बीच संचालित एमडी ड्रग्स निर्माण इकाई पर छापा मारकर करीब 14 किलोग्राम एमडी ड्रग्स बरामद की गई। कार्रवाई के दौरान दो आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है। देर रात तक मौके पर कार्रवाई जारी रहने के कारण पुलिस ने आरोपितों की पहचान सार्वजनिक नहीं की।

एसपी के निर्देश पर संयुक्त टीम का छापा

पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार मीना ने बताया कि सिंथेटिक ड्रग्स निर्माण की गोपनीय सूचना मिली थी। इसके बाद नई आबादी थाना पुलिस, शामगढ़ थाना पुलिस और वायडी नगर पुलिस की संयुक्त टीम गठित कर ग्राम बाजखेड़ी स्थित खेत पर दबिश दी गई। मौके पर एमडी ड्रग्स तैयार करने की पूरी व्यवस्था मिली। पुलिस ने वहां से तैयार ड्रग्स के साथ कुछ रासायनिक पदार्थ और अन्य सामग्री भी जब्त की है।

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपितों ने ड्रग्स की एक बड़ी खेप का ऑर्डर लिया था और तैयार माल की सप्लाई की तैयारी चल रही थी। मौके से एमडी ड्रग्स का क्रूड मटेरियल भी मिला है, जिससे अगले एक-दो दिनों में और ड्रग्स तैयार की जा सकती थी। समय रहते कार्रवाई होने से बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थ की सप्लाई रोकी जा सकी।

बाहर से केमिकल लाकर खेत पर तैयार होती थी ड्रग्स

जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपित बाहर से केमिकल और अन्य सामग्री लाकर खेत पर ही ड्रग्स तैयार करते थे। इसके बाद तैयार माल को जिले सहित अन्य क्षेत्रों में खपाया जाता था। पुलिस अब इस नेटवर्क की सप्लाई चेन, वित्तीय लेन-देन और अन्य संभावित आरोपितों के संबंध में पूछताछ कर रही है। एसपी मीना ने बताया कि मौके पर जब्ती और पंचनामा कार्रवाई जारी है। जांच पूरी होने के बाद पूरे नेटवर्क और गिरफ्तार आरोपितों की भूमिका का विस्तृत खुलासा किया जाएगा।

लगातार कार्रवाई के बाद भी सक्रिय हैं तस्कर

मंदसौर-नीमच क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों में एमडी ड्रग्स के अवैध कारोबार के खिलाफ पुलिस और केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (सीबीएन) द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसके बावजूद तस्कर नए ठिकाने बनाकर सिंथेटिक ड्रग्स के निर्माण और तस्करी में जुटे हुए हैं। बाजखेड़ी की कार्रवाई इसी कड़ी की एक बड़ी सफलता मानी जा रही है।

बालम ककड़ी और मालवी गराडू को मिला जीआई टैग

माही की गूंज, रतलाम।

स्वाद के लिए प्रसिद्ध बालम ककड़ी और रतलामी गराडू को अब राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विशिष्ट पहचान मिल गई है। इन दोनों उत्पादों को भौगोलिक संकेतक (जीआई) टैग प्राप्त हुआ है। गराडू को मालवी गराडू के नाम से यह मान्यता मिली है। इससे पहले जिले की प्रसिद्ध रियावन लहसुन और रतलामी सेंव को भी जीआई टैग मिल चुका है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा प्रदेश के सभी जिलों में स्थानीय स्तर पर विशिष्ट उत्पादों को चिह्नित कर उन्हें जीआई टैग दिलाने की दिशा में पहल करने के निर्देश दिए गए थे। इसी क्रम में एमएसएमई मंत्री चेतन्य काश्यप के विशेष प्रयासों के चलते परिणाम अब सामने आया है।

220 हेक्टेयर क्षेत्र में होता है उत्पादन

वर्तमान में रतलाम जिले में लगभग 100 हेक्टेयर क्षेत्र में बालम ककड़ी और करीब 120 हेक्टेयर क्षेत्र में गराडू का उत्पादन किया जा रहा है। इन दोनों फसलों से बड़ी संख्या में किसान जुड़े हुए हैं। जीआइ टैग मिलने के बाद इनके उत्पादन क्षेत्र में वृद्धि और किसानों की आय बढ़ने की संभावना जताई जा रही है।

स्वाद और गुणवत्ता ने दिलाई अलग पहचान

सैलाना क्षेत्र की केसरिया बालम ककड़ी अपने रसीले स्वाद और पीले, हरे तथा केसरिया रंगों की विशिष्टता के कारण देशभर में पहचान रखती है। वहीं रतलाम का गराडू अपने अनोखे स्वाद, अंदर से मुलायम और बाहर से कुरकुरा बनने की विशेषता के कारण खास माना जाता है। यह विटामिन, खनिज और फाइबर का अच्छा स्रोत भी है।

इसमें मौजूद एंटीआक्सीडेंट तत्व स्वास्थ्य के लिए लाभकारी माने जाते हैं। यह रक्त शर्करा को नियंत्रित करने में भी सहायक माना जाता है। शीत ऋतु में गराडू की फसल बाजार में आती है। खास तौर पर नवंबर से फरवरी तक इसकी उपलब्धता व मांग बनी रहती है। बालम ककड़ी की सर्वाधिक आवक वर्षाकाल के दौरान होती है।

किसानों को मिलेगा बेहतर बाजार

जीआई टैग मिलने से इन उत्पादों की ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी और राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय बाजारों में इनकी मांग बढ़ने की संभावना है। इससे किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिल सकेगा और निर्यात के नए अवसर भी खुलेंगे। रतलाम की विशिष्ट जलवायु, उपजाऊ मिट्टी और पारंपरिक खेती पद्धतियों ने इन उत्पादों को खास पहचान दिलाई है, जिसे अब आधिकारिक मान्यता भी मिल गई है।

उपसंचालक उद्यानिकी मंगलसिंह डोडवे के अनुसार यह उपलब्धि जिले के किसानों, कृषि वैज्ञानिकों, उद्यानिकी विभाग और जिला प्रशासन के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है।

रिटायर्ड महिला अधिकारी को 33 दिन तक रखा डिजिटल अरेस्ट

ग्वालियर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां साइबर ठगों ने डिजिटल अरेस्टश् का भय दिखाकर एक 69 वर्षीय रिटायर्ड महिला अधिकारी से 1 करोड़ 57 लाख 90 हजार रुपये की ठगी कर ली। पीड़िता की पहचान मीनाक्षी नाखरे के रूप में हुई है। बताया जाता है कि आरोपियों ने खुद को सीबीआई अधिकारी बताकर महिला को फोन किया और उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के एक कथित मामले में फंसाने की धमकी दी।

ठगों ने महिला को डराकर विश्वास में लिया और कहा कि उनके खिलाफ गंभीर जांच चल रही है. ऐसे में यदि उन्होंने अधिकारियों के निर्देशों का पालन नहीं किया तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसी डर का फायदा उठाते हुए साइबर अपराधियों ने उन्हें करीब 33 दिनों तक मानसिक दबाव में रखा। इस दौरान 10 मई से 23 जून तक महिला कथित रूप से डिजिटल अरेस्टश् की स्थिति में रहीं और लगातार ठगों के संपर्क में बनी रहीं।

4 एफडी तुड़वाकर खाते में ट्रांसफर करवाई राशि

आरोपियों ने महिला से चार फिक्स्ड डिपॉजिट तुड़वाकर अलग-अलग बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर करवाए। पुलिस के मुताबिक करीब डेढ़ करोड़ रुपये से अधिक की राशि चार राज्यों के 10 से ज्यादा शहरों में मौजूद विभिन्न खातों में भेजी गई। वहीं जब महिला को अपने साथ हुई ठगी का एहसास हुआ, तब उन्होंने ग्वालियर क्राइम ब्रांच थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई।

मामले की सूचना मिलते ही पुलिस ने साइबर ठगी का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस बैंक खातों के लेनदेन, मोबाइल नंबरों और अन्य डिजिटल साक्ष्यों की जांच कर रही है, ताकि आरोपियों तक पहुंचा जा सके। ग्वालियर के सीएसपी मनीष यादव ने बताया कि साइबर अपराधियों ने सीबीआई अधिकारी बनकर महिला को डरा-धमकाकर बड़ी रकम अपने खातों में ट्रांसफर कराई। मामले की जांच जारी है।

गांधीसागर में बढ़ेगा चीतों का कुनबा

माही की गूंज, मंदसौर।

गांधीसागर अभयारण्य में चीता पुनर्वास परियोजना को नई गति मिलने जा रही है। जुलाई के पहले सप्ताह में कूनो राष्ट्रीय उद्यान से दो और चीतों (एक नर और एक मादा) को गांधीसागर लाने की तैयारी चल रही है। वन विभाग को उम्मीद है कि इससे अभयारण्य में चीतों की संख्या बढ़ाने और प्रजनन कार्यक्रम को सफलता मिलने की संभावना मजबूत होगी।

गांधीसागर अभयारण्य में छोड़े गए नर चीता प्रभास और पावक को लगभग डेढ़ साल पूरा होने को है। मादा चीता धीरा को भी सितंबर में एक साल हो जाएगा, पर यहां चीतों का कुनबा बढ़ाने के प्रयासों को झटका लग रहा है। धीरा के मेटिंग के सारे प्रयास नाकाम हो गए हैं जबकि वन विभाग के अधिकारी कई बार तीनों को साथ में छोड़ चुके हैं।

कूनो से आएंगे नए मेहमान

अब यहां फिर से उम्मीदें जीवंत हुई हैं। कूनो में रह रहे बोत्सवाना के चीतों में से दो को जुलाई में गांधीसागर अभयारण्य में लाने की सूचना मिल रही है। इनमें नर-मादा शामिल हैं। अफ्रीका महाद्वीप के देश बोत्सवाना से फरवरी में चीतों को लाकर कूनो में रखा गया है।

उनमें से दो-तीन के गांधीसागर अभयारण्य में लाए जाने का इंतजार चल रहा है। खबर मिल रही कि जुलाई के प्रारंभ में कूनो से दो चीते गांधीसागर अभयारण्य में छोड़े जा सकते हैं। हालांकि विधिवत सूचना वन विभाग के अधिकारियों को नहीं मिली है। अलबत्ता वन विभाग की आवश्यक तैयारियां चल रही हैं।

चीता परियोजना पर अंतरराष्ट्रीय नजर

बता दें कि गांधीसागर में 20 अप्रैल 2025 को दो नर चीता प्रभास और पावक को छोड़ा गया था। वहीं, 17 सितंबर 2025 को मादा चीता धीरा को छोड़ा गया था। प्रभास व पावक 15.5 वर्ग किमी के एक बाड़े में हैं। धीरा भी इससे सटे 15.5 वर्ग किमी के बाड़े में हैं।

चीता पुनर्वास प्रोजेक्ट के तहत चल रहे इस कार्यक्रम को लेकर अक्टूबर 25 में दक्षिण अफ्रीका के पांच सदस्यीय दल ने गांधीसागर अभयारण्य का भी दौरा किया था। उन्होंने यहां चीता प्रोजेक्ट के तहत 64 वर्ग किमी क्षेत्र में बनाए गए बाड़ों को देखा।

प्रभास, पावक व धीरा की गतिविधियों की देखा। उनके रखरखाव सहित अन्य सुविधाओं को भी देखा था।

इसके बाद अफ्रीकी दल ने चीतों को लेकर किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा भी की थी।

डीएफओ संजय रायखेरे ने बताया कि, धीरा की मेटिंग के लिए कई बार प्रयास किए गए हैं, पर सफलता नहीं मिली है। अब हम इंतजार कर रहे हैं कि बोत्सवाना से कूनो लाए गए चीतों में से यहां कितने चीतों को भेजने का निर्णय लिया जाता है। हमारी इच्छा है कि हमें मादा चीता मिले। चीतों के बसने से पर्यटकों का आकर्षण बढ़ेगा, जल थल और नभ के पर्यटन की अपार संभावना लिए आर्थिक उन्नति का माध्यम भी गांधीसागर बनेगा।

रात के अंधेरे में सोसाइटी से अनाज की कालाबाजारी का वीडियो हुआ वायरल

टेम्पो पकड़ने वाले को मिली धमकी, जनसुनवाई में पहुंचा मामला

माही की गूंज, पेटलावद।

पेटलावद तहसील के ग्राम करड़ावद में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के राशन की कालाबाजारी का मामला सामने आने के बाद अब शिकायतकर्ता को धमकाने का गंभीर प्रकरण सामने आया है। राशन दुकान के सेल्समेन निलेश सीनम द्वारा देर रात सरकारी अनाज को अपने निजी टेम्पो में भरकर ले जाने का वीडियो बनाने वाले प्रार्थी राजू पिता दिता गणावा और उसके परिवार को अब जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। प्रार्थी ने इस संबंध में पेटलावद एसडीएम को लिखित शिकायत सौंपकर न्याय और सुरक्षा की गुहार लगाई है।

राजू गणावा ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि, शनिवार देर रात जब उसने सेल्समेन को सरकारी गेहूं के बोरे टेम्पो (एमपी 13 जेडडी 5994) में लोड करते हुए रंगे हाथों पकड़ा और उसका वीडियो बनाया, तो सेल्समेन ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसके साथ गाली-गलौज की और मोबाइल छीनने का प्रयास किया। शिकायत के अनुसार, सेल्समेन और उसके साथियों ने उसे जान से मारने की धमकी दी और पथराव भी किया, जिससे प्रार्थी और उसके पुत्र ने बमुश्किल अपनी जान बचाई। ग्रामीणों का आरोप है कि सेल्समेन पिछले दो महीनों से गरीबों को राशन नहीं बांट रहा है, जबकि उनके अंगूठे लगवाकर रिकॉर्ड में प्रविष्टि पूरी कर ली गई है। घटना के बाद से ही प्रार्थी के घर के चक्कर काटकर उसे डराया-धमकाया जा रहा है ताकि वह वीडियो डिलीट कर दे। प्रार्थी ने प्रशासन से मांग की है कि वायरल वीडियो को सबूत मानते हुए कालाबाजारी और जान से मारने की धमकी देने वाले दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में उसे या उसके परिवार को कोई नुकसान न हो।

पुलिस में भी दिया था आवेदन

गरीबों को वितरण किए जाने वाले अनाज की कालाबाजारी जैसे गंभीर मामलों में एक समय शासन-प्रशासन तुरंत कार्रवाई करता था, लेकिन यहां मामला समझ से परे है। सोसाइटी का अनाज रात ग्यारह बजे खुद सेल्समेन चारे की आड़ में दबाकर ले जाते हुए कैमरे में कैद हुआ। यहां तक कि टेम्पो पकड़ने वाले को मौके पर ही लेन-देन कर निपटारा करने के प्रलोभन तक दिए गए। विवाद की स्थिति भी निर्मित हुई। सारी घटनाएं वीडियो में रिकॉर्ड होने के बाद मामला पुलिस थाने तक भी पहुंचा, लेकिन मामला शासकीय दुकान से जुड़ा होने के कारण पुलिस ने सीधे हस्तक्षेप नहीं किया। मंगलवार को मामला जनसुनवाई के माध्यम से एसडीएम तक भी पहुंचा, लेकिन समाचार लिखे जाने तक इस मामले में कोई कार्रवाई होने की जानकारी सामने नहीं आई।

ग्रामीण क्षेत्रों में हालत खराब

गरीबों के हक के अनाज पर कालाबाजारियों द्वारा खुला डाका डाला जा रहा है। रिकॉर्ड पर सब कुछ सही है, लेकिन धरातल पर कहानी कुछ और ही है। अनाज वितरण में भारी अनियमितता की जा रही है। अनाज देने के नाम पर अंगूठे लगवाए जा रहे हैं, लेकिन अनाज लेने वाले कई अनपढ़ और गरीब लोगों को पता ही नहीं कि, उन्हें कितने माह का राशन मिला है। जिला प्रशासन इस प्रकार के मामलों में भी निष्क्रिय बना हुआ है, यह सोचने वाली बात है। सरकार और प्रशासन गंभीर मामलों में कार्रवाई नहीं कर इस तरह के मामलों में अप्रत्यक्ष सहयोग कर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं।

जर्मनी में लहराया तिरंगा, झाबुआ के युगप्रताप ने आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में जीता कांस्य पदक

माही की गूंज, पेटलावद।

झाबुआ जिले की पेटलावद तहसील के एक छोटे से गांव उमरकोट से निकलकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने वाले युवा निशानेबाज युगप्रताप सिंह राठौड़ ने इतिहास रच दिया है। जर्मनी के सुहल शहर में आयोजित प्रतिष्ठित ''आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप'' में युगप्रताप ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत के लिए कांस्य पदक जीता है। इस ऐतिहासिक जीत के साथ ही उन्होंने न सिर्फ देश का, बल्कि पूरे झाबुआ जिले का नाम विश्व पटल पर सुनहरे अक्षरों में दर्ज कर दिया है।

जर्मनी में दुनिया भर के दिग्गज युवा निशानेबाजों के बीच हुआ यह मुकाबला बेहद दबाव भरा और रोमांचक था। फाइनल राउंड की शुरुआत में युगप्रताप ने बेहतरीन फॉर्म का प्रदर्शन करते हुए सभी अंतरराष्ट्रीय शूटर्स को कड़ी टक्कर दी। मैच के शुरुआती 10 शॉट के बाद युगप्रताप पहले स्थान पर काबिज थे और एक समय वह स्वर्ण पदक के प्रबल दावेदार माने जा रहे थे। हालांकि, अंतिम और निर्णायक पलों में कड़े मुकाबले के बीच उन्होंने गजब का मानसिक संयम दिखाया और प्रतियोगिता में तीसरा स्थान हासिल कर देश के लिए पदक पक्का कर लिया।

मूल रूप से झाबुआ जिले के उमरकोट गांव के रहने वाले युगप्रताप वर्तमान में इंदौर में रहकर अपनी पढ़ाई के साथ-साथ शूटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग ले रहे हैं। राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर पहले ही कई अहम पदक जीत चुके युगप्रताप के हौसले इस विश्व स्तरीय सफलता के बाद सातवें आसमान पर हैं। इस बड़ी जीत के बाद उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया है कि उनका अगला लक्ष्य अब सीधे ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करना और देश के लिए पदक जीतना है।

युगप्रताप की इस ऐतिहासिक सफलता की खबर जैसे ही झाबुआ पहुंची, उनके परिजनों, गृह ग्राम उमरकोट और पूरे जिले में जश्न का माहौल छा गया। उनके घर पर बधाइयां देने वालों का तांता लगा हुआ है और हर कोई झाबुआ के इस लाल की उपलब्धि पर गर्व महसूस कर रहा है।

कृषि कोर्स की पहली बैच में पढ़े आशीष अब इंटर्नशिप के लिए चयनित देश के 15 छात्रों में हुए शामिल

माही की गूंज, बरवेट।

गांव बरवेट के युवक आशीष ओमप्रकाश पाटीदार ने बड़ा नाम किया है। वे प्राकृतिक खेती को लेकर चलाए जा रहे केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की पहली बैच के छात्र बने और अब देश के उन 15 विद्यार्थियों में शामिल हुए हैं, जो प्राकृतिक खेती की इंटर्नशिप के लिए चयनित हुए हैं। बिहार के अररिया में भीमा कामत नेचरल फार्म में दो महीने की इंटर्नशिप होगी। आशीष का कहना है, बरवेट से यहां तक पहुंचना बड़ा सपना पूरा होने जैसा है। वे गांव लौटकर अपने गांव और जिले को रासायनिक खेती से मुक्त बनाना चाहते हैं। कहते हैं, इसकी शुरुआत अपने घर से करूंगा। वे बिहार के पूसा स्थित डॉ. राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से कोर्स कर रहे हैं। पहली बैच 2023 में शुरू हुई थी। अगले साल कोर्स पूरा हो जाएगा। जिन छात्रों का चयन इंटर्नशिप के लिए हुआ, उन्हें सम्मानित करने केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने सम्मानित किया। आशीष ने बताया कि बीएससी कृषि (प्रतिष्ठा) प्राकृतिक खेती पाठ्यक्रम बैच के छात्रों का चयन देश की तीन संस्थाओं के लिए हुआ है। पटना की सावित्री रिन्युएबल एनर्जी ने 9, अररिया की भीमा कामत नेचरल पार्क ने 4 और कर्नाटक के शारदानगर की फर्म में दो छात्रों की इंटर्नशिप होगी। इस दौरान छात्र रिन्युएबल एनर्जी, टिकाऊ कृषि, प्राकृतिक खेती, जैविक कचरा प्रबंधन, बायोगैस तकनीक, वर्मी कम्पोस्टिंग और ग्रामीण सतत विकास से जुड़े कार्यों का व्यावहारिक अनुभव लेंगे।

छात्रों की गूंज अभियान के तहत शिक्षा व्यवस्था पर कांग्रेस ने उठाए सवाल

माही की गूंज, खंडवा।

कांग्रेस के राष्ट्रव्यापी अभियान श्छात्रों की गूंजश् के अंतर्गत बुधवार को गांधी भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में शिक्षा व्यवस्था, प्रश्नपत्र लीक, प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं और बेरोजगारी के मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना की गई। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि वर्तमान शिक्षा व्यवस्था युवाओं को अवसर देने के बजाय उन्हें निराशा और असुरक्षा की ओर धकेल रही है।

जिलाध्यक्ष उत्तमपालसिंह पुरनी ने बताया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा कोटा से प्रारंभ किए गए इस अभियान का उद्देश्य छात्रों और अभिभावकों की समस्याओं को मंच प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि लगातार सामने आ रही प्रश्नपत्र लीक की घटनाएं, सरकारी विद्यालयों का बंद होना तथा निजी शिक्षण संस्थानों की बढ़ती फीस अभिभावकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाल रही है।

उन्होंने कहा कि अनेक परिवार बच्चों की पढ़ाई के लिए ऋण लेने को मजबूर हैं, लेकिन शिक्षा पूरी होने के बाद भी रोजगार की कोई निश्चितता नहीं है। इससे युवाओं में तनाव बढ़ रहा है और कई बार वे गंभीर कदम उठाने को विवश हो जाते हैं।

कांग्रेस नेताओं ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में लाखों विद्यार्थी शामिल होते हैं, लेकिन सफल होने वालों की संख्या बहुत कम रहती है। अधिकांश युवाओं के भविष्य को लेकर कोई स्पष्ट व्यवस्था दिखाई नहीं देती।

शहर कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा रघुवंशी ने कहा कि वर्तमान शिक्षा व्यवस्था चयन की बजाय असफल घोषित करने वाली व्यवस्था बन गई है। उन्होंने कहा कि संघ लोक सेवा आयोग, राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा, संयुक्त प्रवेश परीक्षा, कर्मचारी चयन आयोग और रेलवे भर्ती जैसी परीक्षाओं में लाखों विद्यार्थी भाग लेते हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम को अवसर मिल पाता है।

कांग्रेस नेताओं ने बताया कि श्छात्रों की गूंजश् अभियान के तहत 27 जून को खंडवा में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसमें छात्रों, युवाओं और अभिभावकों से शिक्षा, रोजगार और प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर सुझाव लिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि जालस्थल और त्वरित प्रतिक्रिया संकेत (क्यूआर कोड) के माध्यम से भी विद्यार्थी अपने सुझाव दर्ज करा सकेंगे। इन सुझावों के आधार पर शिक्षा और युवाओं के भविष्य से जुड़े वैकल्पिक प्रस्ताव तैयार किए जाएंगे।

पत्रकार वार्ता में छात्र संगठनों की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए। कांग्रेस नेताओं का कहना था कि युवाओं और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर कई छात्र संगठन सक्रिय भूमिका नहीं निभा रहे हैं।

मनाई गई गायत्री जयंती, 11 गर्भवती माताओं का हुआ पुंसवन संस्कार

माही की गूंज, पेटलावद।

गायत्री शक्तिपीठ पेटलावद में गायत्री जयंती का पावन पर्व श्रद्धा, भक्ति एवं उत्साह के साथ मनाया गया। पर्व के एक दिन पूर्व शक्तिपीठ परिसर में अखंड जप का आयोजन किया गया, जिसमें परिजनों ने प्रातः 7 बजे से सायं 7 बजे तक अपनी सुविधा अनुसार समय निकालकर जप साधना में सहभागिता की। पूरे दिन मंत्रोच्चार एवं आध्यात्मिक वातावरण से शक्तिपीठ परिसर भक्तिमय बना रहा।

गायत्री जयंती के अवसर पर प्रातःकाल पंचकुंडीय गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया गया। यज्ञ में उपस्थित श्रद्धालुओं ने विश्व कल्याण, सुख-समृद्धि एवं सकारात्मक वातावरण की कामना के साथ आहुतियां अर्पित कीं। यज्ञ के माध्यम से भारतीय संस्कृति एवं आध्यात्मिक मूल्यों को जीवन में अपनाने का संदेश भी दिया गया।

पर्व के विशेष अवसर पर गर्भवती माताओं के लिए पुंसवन संस्कार का आयोजन भी किया गया। इस दौरान 11 गर्भवती बहनों का वैदिक विधि-विधान से पुंसवन संस्कार संपन्न कराया गया। संस्कार के माध्यम से गर्भस्थ शिशु के उज्ज्वल, संस्कारित एवं स्वस्थ जीवन की मंगलकामना की गई।

कार्यक्रम में पेटलावद सहित आसपास के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों से बड़ी संख्या में गायत्री परिवार के परिजनों एवं श्रद्धालुओं ने भाग लेकर आध्यात्मिक लाभ प्राप्त किया। संपूर्ण आयोजन श्रद्धा, अनुशासन एवं धार्मिक उत्साह के वातावरण में संपन्न हुआ।

संपूर्ण दवा सुरक्षा श्रृंखला को कीजिए मजबूत

अक्तूबर, 2025 में, मध्य प्रदेश के एक जिले में संदूषित कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत की ख़बरों ने देश को झकझोर दिया था। अब, जून, 2026 में, भारत सरकार ने कुछ नियम बदले हैं और 'शेड्यूल के' से सभी सिरप को अनुमति सूची से हटा दिया है। 'शेड्यूल के' में गांवों या ऐसी जगहों पर, जहां पर आबादी एक हजार से कम है, गैर-फार्मेसी दुकानों पर भी सिरप बिक्री को मंजूरी थी। अब पूरे देश में, दवा युक्त सिरप आम दुकानों पर नहीं रखी जा सकती और उनकी बिक्री डॉक्टर की पर्ची पर होना अनिवार्य है।

मध्य प्रदेश की कफ सिरप त्रासदी के बाद जांच हुई और कुछ नियामक पहल हुई। इस घटना की याद ने नीतिगत फैसले को आकार दिया है। हालांकि, इसे मोटे तौर पर कफ सिरप की बिक्री के लिए डॉक्टर की पर्ची अनिवार्य किए जाने के फैसले के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन सच तो यह है कि ज्यादातर दवा युक्त कफ सिरपों में (हर्बल सिरप को छोड़कर) ऐसे तत्व होते हैं, जिनकी खरीद या बेचने से पहले डॉक्टर की पर्ची की अनिवार्यता हमेशा से थी। मगर, पालन नहीं किया जाता था।

यह नीतिगत फैसला स्पष्ट रूप से पर्ची की अनिवार्यता को सुदृढ़ करता है। सभी सिरपों में, भारत में सबसे अधिक गलत इस्तेमाल कफ सिरप का होता है। कई लोग बीमारी की सही शिनाख्त करवाए बिना खुद से इन्हें खरीद लेते हैं, छूत से लगी सर्दी-खांसी में इनका इस्तेमाल करते हैं जबकि इनसे फायदा बहुत कम होता है। सुरक्षा संबंधी चिंताओं के बावजूद यह छोटे बच्चों को बार-बार खुराक दी जाती है। धारणा बना ली कि मीठा तरल नुकसानदायक प्रतीत नहीं होता। कुछ सिरप फार्मूलों में एंटीहिस्टामाइन, डिकंजेस्टेंट, सिडेटिव, ओपिओइड या अल्कोहल जैसे तत्व होते हैं, जो फायदे के बजाय नुकसान अधिक पहुंचा सकते हैं। किशोरों और वयस्कों में भी कुछ किस्म के सिरप का गलत इस्तेमाल होता है। पर्ची की अनिवार्यता बनने से लोग आसानी से इन्हें नहीं खरीद पाएंगे, पहले डॉक्टर से मिलना जरूरी हो जाएगा।

फिर भी, यह कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। कई परेशान माता-पिता के लिए बच्चे की खांसी चिंताजनक हो जाती है, और डॉक्टर के पास जाने पर अगर सिरप न लिखा जाए तो उन्हें अक्सर लगता है कि इलाज अधूरा रह गया। मरीज अक्सर कफ सिरप लिखने की मांग करते हैं और अगर डॉक्टर मना कर दे, तो कुछ परिवार किसी दूसरे डॉक्टर का रुख करते हैं, जो इसे लिख दे। पुरानी पर्चियों को भी संभालकर रखा जाता है और मिलते-जुलते लक्षणों के लिए वही दवा दोबारा खरीदने में इस्तेमाल किये जाते हैं। ऐसे हालात में, नियमों में यह बदलाव गलत इस्तेमाल को कम कर सकता है, पर्ची की अनिवार्यता होने को मजबूत करता है और गलत इस्तेमाल को बढ़ावा देने वाले व्यवहार को बदल सकता है।

बेशक, यह बदलाव स्वागतयोग्य है, लेकिन काफी नहीं है। मध्य प्रदेश की कफ सिरप त्रासदी मुख्य रूप से डॉक्टर की पर्ची न होने के कारण नहीं हुई थी। यह बच्चों तक संदूषित उत्पाद पहुंचने के कारण हुई। जब डायथिलीन ग्लाइकॉल या एथिलीन ग्लाइकॉलकृवे औद्योगिक रसायन, जो दवाओं में कदापि नहीं होने चाहिएकृकिसी सिरप में मिला दिए जाएँ, तो यह व्यवस्था-तंत्र की विफलता है, जिसकी जिम्मेदारी ऊपर स्तर पर बैठे नियामकों की है। इसमें कच्चे माल की खरीद, परीक्षण, लाइसेंसिंग, निरीक्षण और बाजार से उत्पाद हटाने जैसी प्रक्रियाओं की प्रभावी निगरानी आवश्यक होती है। डॉक्टर की परामर्श पर्ची उपयोग को तो नियंत्रित कर सकती है, लेकिन संदूषित खेप को सुरक्षित नहीं बना सकती।

अन्य देश इस बाबत उपयोगी सबक हो सकते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में, खांसी और जुकाम की कुछ दवाएं बिना डॉक्टर की पर्ची के उपलब्ध हैं, लेकिन नियामक दो साल से कम उम्र के बच्चों में इनके उपयोग पर चेतावनी देते हैं, और निर्माता आमतौर पर चार साल से कम उम्र के बच्चों के लिए उपयोग के खिलाफ लेबल पर लिखा होता है। यूनाइटेड किंगडम में, कई खांसी और जुकाम की दवाएं छह साल से कम उम्र के बच्चों के लिए अनुशंसित नहीं हैं, जबकि छह से बारह वर्ष की आयु के बच्चों में उनका उपयोग स्वास्थ्य कर्मी की देख-रेख में होता है। ऑस्ट्रेलिया ने भी छोटे बच्चों में इसके उपयोग को हतोत्साहित किया है और लेबल पर बाकायदा चेतावनी छापने को कड़ा कर रखा है। ये देश दुर्घटना अवसर घटाने के लिए केवल डॉक्टर की पर्ची पर निर्भर नहीं हैं। वे आयु प्रतिबंध, चेतावनी लेबल, डाक्टरी परामर्श, विष नियंत्रण प्रणाली, प्रतिकूल घटना पर त्वरित सूचना और निगरानी उपायों का उपयोग करते हैं।

भारत को एक बहुस्तरीय दृष्टिकोण की आवश्यकता है। सर्वप्रथम, दो साल से कम उम्र के बच्चों को खांसी और जुकाम की दवाइयां न तो लिखी जानी चाहिए और न ही दी जानी चाहिए, सिवाय कुछ दुर्लभ मामलों में विशेषज्ञ की सलाह पर। इनसे बड़े बच्चों के लिए, मानकीकृत देखभाल की शुरुआत, दिलासा देने, तरल पदार्थ देकर, जरूरत पड़ने पर बुखार नियंत्रण, सेलाइन ड्रॉप्स, एक साल की उम्र के बाद शहद देना और स्पष्ट चेतावनी संकेतों को बूझना, जिन्हें चिकित्सकीय ध्यान की आवश्यकता है, जैसे उपायों से हो सकती है। माता-पिता को यह पता होना चाहिए कि ज्यादातर खांसी एक संक्रमण रोग है, अपने आप ठीक हो जाती है और इसके लिए सिरप की जरूरत नहीं होती।

दूसरा, उत्पादन नियमों को और अधिक सुदृढ़ किया जाना चाहिए। प्रत्येक पी जाने वाली दवा, जिसमें ग्लिसरीन, प्रोपिलीन ग्लाइकॉल या सॉर्बिटोल जैसे सहायक पदार्थ शामिल होते हैं, उनकी विषाक्तता की अनिवार्य जांच की जानी चाहिए। कच्चे माल के आपूर्तिकर्ता लाइसेंस धारक हों, और उन पर नजर रखी जानी चाहिए। राज्य औषधि नियामकों को प्रशिक्षित निरीक्षकों, आधुनिक प्रयोगशालाएं, डिजिटल रिकॉर्ड और दबाव से मुक्ति की आवश्यकता है। बार-बार उल्लंघन करने पर केवल अस्थायी निलंबन ही नहीं, बल्कि मुकदमा और लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई भी होनी चाहिए।

तीसरा, विषाक्ता का पता लगने पर शेष दवा को बाजार से तुरंत हटाने वाली प्रणाली होना जरूरी है। एक बार दूषित उत्पाद का संदेह होने पर, सूचना दिनों की बजाय घंटों में प्रसारित होनी चाहिए। एक राष्ट्रीय डिजिटल दवा रिकॉल प्लेटफॉर्म हो, जोकि बैच नंबर, फार्मेसियों, डॉक्टरों, अस्पतालों और आम जनता से जुड़ा हो, इससे कई जानें बच सकती हैं। हर बोतल पर एक क्यूआर कोड होना चाहिए जिसके माध्यम से माता-पिता निर्माता, बैच नंबर, समाप्ति तिथि और रिकॉल की स्थिति की पुष्टि कर सकें।

चंद्रकांत लहरिया

चैथा, डॉक्टरों और दवा विक्रेताओं को अपने काम करने के तरीके में बदलाव करना होगा। परामर्श पर्ची में बीमारी की शिनाख्त, उम्र के हिसाब से दवा की मात्रा और कितने समय तक दवा देनी है, यह सब दर्ज हो। खांसी की मिश्रित दवाएं (कॉम्बिनेशन सिरप) का इस्तेमाल बिना सोचे-समझे नहीं करना चाहिए। दवा विक्रेताओं को बिक्री का रिकॉर्ड रखना चाहिए, तीमारदारों को जानकारी युक्त करना और असुरक्षित मांगों को साफ इंकार कर देना चाहिए। व्यावसायिक संस्थाओं को चाहिए कि आसानी से समझ आने वाली और व्यावहारिक दिशा-निर्देश जारी करें, जिनका पालन व्यस्त क्लीनिक और फार्मेसियों में किया जाना है।

आखिर में, समुदायों को भागीदार के तौर पर लिया जाना जरूरी है। आंगनवाड़ी कर्मी, 'आशा' कर्मी, स्कूल अध्यापक, बच्चों के डॉक्टर, फैमिली डॉक्टर और लोकल मीडिया तीन आसान बातें लोगों तक पहुंचा सकते हैं रू छोटे बच्चों को खुद से तय करके दवा न देंय पुरानी सिरप पर्ची का दोबारा इस्तेमाल न करें। अगर किसी दवा सेवन के बाद बच्चे को पेशाब कम आए, लगातार उल्टी हो, सुस्ती छाए, सांस तेज चले या बीमारी और बढ़ जाए, तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। पंचायतें और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन 'सुरक्षित दवा दिवस' मना सकते हैं, जिनमें परिवार दवाइयों को सुरक्षित तरीके से जांचना, रखना और फेंकना सीख सकें।

अधिकारियों को इस गलतफहमी से बचना चाहिए कि सिर्फ बिक्री का तौर-तरीका बदलने से सुरक्षा की संपूर्ण श्रृंखला दुरुस्त हो जाएगी। असली काम एक ऐसा दवा प्रणाली बनाना है जिसमें दवाएं उत्तम गुणवत्ता की हों, परामर्श तार्किक हों, दवा विक्रेता की जिम्मेदारी तय हो, नागरिक जानकारी युक्त हों और नियामक किसी बड़ी घटना के होने से पहले ही कदम उठा लें। सवाल यह भी है कि क्या भारत घटना-आधारित उपाय करने से हटकर रोजमर्रा की दवा-सुरक्षा की ओर बढ़ सकता है।

जमीन खरीदी को लेकर निशाने पर सीएम मोहन यादव

माही की गूंज, उज्जैन।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को लेकर 23 जून को इंडियन एक्सप्रेस ने एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट छापी। जिसने उन्हें गंभीर सवालों के घेरे में ला दिया है। दावा किया गया है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद मोहन यादव के परिवार ने उज्जैन और उसके आसपास 137 प्लाट खरीदे जो 168 एकड़ में फैले हैं।

इनमें से ज्यादातर प्लॉट्स ऐसी जगहों पर हैं, जहां बाद में मोहन सरकार ने सड़कें, हाईवे और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का ऐलान किया।

इस दावे के बाद मुख्यमंत्री पर विपक्ष लगातार हमलावर हो रहा है। राजनीतिक बहस तेज हो गई है। कई आरोप लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस ने भी 23 जून को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीएम मोहन यादव पर कई आरोप लगाए, और बहुत से सवाल उठाए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मध्यप्रदेश कांग्रेस कमिटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी और राज्य के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार मौजूद थे।

विपक्ष ने क्या आरोप लगाए?

जीतू पटवारी ने अपने एक्स हैंडल पर ट्वीट कर लिखा कि धर्मनगरी उज्जैन को मुख्यमंत्री ने जमीन के गोरखधंधे का हिस्सा बना दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री से चार अहम सवाल पूछे।

- क्या ये सही है कि आपके मुख्यमंत्री बनने के बाद आपके परिवार और उनसे जुड़ी कंपनियों ने 137 प्लॉट खरीदकर 168 एकड़ जमीन अर्जित की?

- लगभग 111 एकड़ जमीनें ऐसी जगहों पर खरीदी गईं, जो परियोजनाओं से प्रभावित क्षेत्र हैं- क्या ये महज संयोग है?

- क्या सरकार उन सारी परियोजनाओं के भूमि उपयोग परिवर्तन की सूची सार्वजनिक करेगी, जहां आपके परिवार ने जमीनें खरीदीं?

- क्या आप ये घोषणा करेंगे कि इस भूमि सौदे के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज द्वारा न्यायिक जांच हो?

दूसरी ओर, इन आरोपों को भाजपा ने झूठा बता दिया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खण्डेलवाल का कहना है कि सीएम मोहन यादव पर लगाए गए सारे आरोप निराधार हैं। मोहन यादव के पास नामांकन के वक्त जितनी जमीन थी, उसके बाद उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है। ऐसे ही परिवार के अन्य सदस्यों पर लगे आरोप भी झूठे हैं।

रिपोर्ट में क्या छपा?

जिन आरोपों पर बात हो रही है, और जिनका जवाब दिया जा रहा है, उन पर एक नजर डालते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, मुख्यमंत्री की पत्नी 'सीमा यादव', बेटे वैभव यादव की पत्नी 'शालिनी यादव', भाइयों - 'नंदलाल' और 'नारायण यादव', नारायण यादव की पत्नी 'रेखा यादव', उनके बेटे 'अभय यादव', और चचेरे भाइयों 'गोविंद यादव' और 'नीलेश यादव' के नाम पर कई प्लॉट्स खरीदे गए। इसके अलावा परिवार से जुड़ी चार रियाल एस्टेट कंपनियों ने भी जमीनें खरीदीं।

रिपोर्ट कहती है कि, डॉक्टर मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद, परिवार की खरीदी 168 एकड़ जमीन में से लगभग '111 एकड़' ऐसी जगहों पर हैं, जहां बाद में सरकार की तरफ से बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आए। इनमें नई सड़कें, रोड चैड़ीकरण, रिंग रोड और हाईवे जैसे प्रोजेक्ट शामिल हैं। रिपोर्ट में एक मास्टर प्लान 2035 का भी जिक्र किया गया है।

पुलिस ने अवैध शराब के साथ वाहन किया जप्त

माही की गूंज, उदयगढ़।

पुलिस अधीक्षक जिला आलीराजपुर रघुवंश सिंह के निर्देशन में जिले में अवैध शराब के विरुद्ध प्रभावी अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में थाना उदयगढ़ पुलिस द्वारा मुखबिर सूचना के आधार पर त्वरित एवं योजनाबद्ध कार्यवाही करते हुए अवैध शराब परिवहन के विरूद्ध कार्यवाही करते हुये अंग्रेजी शराब एवं परिवहन में प्रयुक्त वाहन जप्त करने में सफलता प्राप्त की है। थाना उदयगढ़ पुलिस की टीम को क्षेत्र में भ्रमण करने के दौरान ग्राम अखोली क्षेत्र में थी। इसी दौरान पुलिस टीम को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि झीरण क्षेत्र से एक सफेद रंग की इनोवा कार में बड़ी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब भरकर जवानिया-मोरडूंडिया मार्ग की ओर ले जाई जा रही है। सूचना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीम द्वारा तत्काल ग्राम किलाना के कालापान फल्या फाटा के समीप नाकाबंदी की गई। कुछ समय पश्चात मुखबिर के बताए अनुसार एक सफेद रंग की इनोवा कार आती हुई दिखाई दी। पुलिस द्वारा वाहन को रोकने का प्रयास किया गया, किन्तु चालक ने वाहन को तेज गति से भगाने का प्रयास किया तथा रास्ते में एक मील के पत्थर से टकराकर आगे निकल गया। पुलिस टीम द्वारा तत्परता से वाहन का पीछा किया गया तथा लगभग 4-5 किलोमीटर तक पीछा करने के बाद वाहन को रोकने में सफलता प्राप्त की गई। वाहन चालक से पूछताछ करने पर उसने अपना नाम जयश पिता कैलाश चैहान, उम्र 28 वर्ष, निवासी ग्राम अंधारवड़ तड़वी फल्या बताया। वाहन की तलाशी लेने पर उसमें रॉयल स्टेज ब्राण्ड की अंग्रेजी शराब की 40 पेटियां भरी हुई पाई गईं। आरोपी से शराब परिवहन संबंधी वैध लाइसेंस एवं दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा गया, किन्तु वह कोई वैध अनुमति प्रस्तुत नहीं कर सका। इस पर पुलिस द्वारा आरोपी के कब्जे से अंग्रेजी शराब तथा परिवहन में प्रयुक्त इनोवा कार क्रमांक एमपी-09-आर-0038 जप्त की गई। इस प्रकार कुल 9.80 लाख रुपये मूल्य की सामग्री जप्त की गई। पुलिस द्वारा आरोपी के विरुद्ध थाना उदयगढ़ में अपराध क्रमांक 214ध्2026, धारा 34(2), 46 आबकारी अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है।

उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी उदयगढ़ निरीक्षक ब्रजभूषण हीरवे, चैकी प्रभारी कानाकाकड़ उप निरीक्षक पवन वास्केल, सउनि अजय भीण्डे, प्रधान आरक्षक लेखराम, आरक्षक आनंद, मुकेश एवं दीपेश का योगदान रहा है।

महाकाल मंदिर की आय बढ़ी

माही की गूंज, उज्जैन।

श्री महाकाल मंदिर में श्रद्धालुओं की लगातार बढ़ती संख्या के साथ ही मंदिर को होने वाली आय में भी बेतहाशा वृद्धि हुई है। इस वर्ष ये आंकड़ा 142 करोड़ तक पहुंच गया। यानी डेढ़ अरब से कुछ कम। इस आय में दान के रूप में 78 करोड़ रुपये प्राप्त हुए। लड्डू प्रसादी के विक्रय से 65 करोड़ रुपये की आय हुई श्रद्धालुओं ने कई बहुमूल्य वस्तुएं भी मंदिर समिति को दान की।

वर्ष 2022 में अक्टूबर माह में श्री महाकाल लोक के लोकार्पण के बाद से महाकाल मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या में अकल्पनीय वृद्धि हुई है। जहां किसी समय प्रतिदिन अधिक से अधिक 50 हजार तक श्रद्धालु पहुंचते थे और शाही सवारी व महाशिवरात्रि जैसे पर्वों पर अधिक से अधिक 2 या ढाई लाख तक ही श्रद्धालु मंदिर में आते थे, वहीं अब यह आंकड़ा प्रतिदिन लगभग 2 लाख तक पहुंच गया। विशेष पर्वों पर यह आंकड़ा 6-7 लाख से ऊपर पहुंच जाता है। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या के साथ ही श्री महाकाल मंदिर प्रबंध समिति को होने वाली आय में भी बेतहाशा वृद्धि हुई है।

दान के रूप में आए 78 करोड़ रुपये

वित्तीय वर्ष 2025-26 में मंदिर समिति को अब तक सर्वाधिक 142 करोड़ रुपये की आय हुई। यह अपने आप में एक रिकार्ड है। बीते वर्षों में एक वर्ष में इतनी आय मंदिर समिति को कभी नहीं हुई। इस आय में दान के रूप में 78 करोड़ रुपये आए व लड्डू प्रसादी के विक्रय से 65 करोड़ रुपये आए। मंदिर समिति ने बताया कि दान पेटियों में से 62 करोड़ रु., नकद काउंटर पर 5 करोड़ 50 लाख, मनी आर्डर से 1.30 लाख, आनलाइन माध्यम से 3 करोड़ 60 लाख, अन्न क्षेत्र से 3 करोड़ 38 लाख व गुप्त दान के रूप में 4 करोड़ 65 लाख रुपये की आय प्राप्त हुई। इसके अलावा श्रद्धालुओं ने कई बहुमूल्य सामग्रियां भी भेंट की। इसमें अधिकतर सोने-चांदी के करोड़ रुपये मूल्य के आभूषण है।

आय के साथ खर्च भी बढ़ा

मंदिर समिति में जिस तरह श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी, उसी के अनुरूप मंदिर समिति की आय में भी वृद्धि हुई। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या के साथ ही मंदिर समिति के खर्चों में भी वृद्धि हुई है। मंदिर के विस्तार के साथ ही यहां वर्तमान में 306 कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। इन कर्मचारियों के वेतन के साथ ही मंदिर की सुरक्षा, रखरखाव, साफ-सफाई सहित अन्य प्रकल्पों पर भी नियमित खर्च जारी है। कुल मिलाकर वर्तमान में 5 करोड़ रुपये से अधिक का खर्च मंदिर समिति प्रतिमाह कर रही है।

तेज रफ्तार बाइक हुई दुर्घनाग्रस्त

माही की गूंज, बरझर।

कन्या आश्रम के पास एक तेज रफ्तार बाइक का संतुलन बिगड़ने से गंभीर दुर्घटना हो गई। अनियंत्रित होकर बाइक सीधे बांस के झुरमुट में जा घुसी, जिससे बाइक पर सवार दो युवक घायल हो गए। दोनों युवक गुजरात के वासाडुगरी के निवासी बताए जा रहे हैं। घटना की सूचना मिलते ही बरझर पुलिस चैकी प्रभारी शिवा तोमर तुरंत मौके पर पहुंचे और दोनों घायलों को इलाज के लिए बरझर स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। घायलों में वासाडुगरी, गुजरात निवासी 16 वर्षीय अमित (पिता रमेश) की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं, उनके साथ मौजूद 17 वर्षीय दशरथ (पिता शैलेश) भी इस हादसे में घायल हुए हैं। फिलहाल दोनों युवकों का बरझर स्वास्थ्य केंद्र में उपचार किया जा रहा है।

गायत्री जयंती पर्व पर तीन दिवसीय धार्मिक आयोजन संपन्न

माही की गूंज, शुजालपुर।

गायत्री जयंती पर्व के पावन अवसर पर गायत्री शक्तिपीठ शुजालपुर मंडी में तीन दिवसीय धार्मिक एवं जनजागरण कार्यक्रमों का आयोजन श्रद्धा और उत्साह के साथ संपन्न हुआ।

कार्यक्रम की शुरुआत 22 जून को व्यसन मुक्ति एवं वृक्षारोपण जनजागरण रैली से हुई। रैली के माध्यम से नागरिकों को नशामुक्त जीवन अपनाने तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए अधिक से अधिक वृक्ष लगाने का संदेश दिया गया। 23 जून को श्रद्धालुओं द्वारा अखंड गायत्री जप किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में परिजनों एवं भक्तों ने भाग लेकर विश्व शांति, मानव कल्याण एवं सद्बुद्धि की कामना की।

तीन दिवसीय आयोजन का समापन 24 जून बुधवार को पंचकुंडीय गायत्री महायज्ञ के साथ हुआ। यज्ञ में श्रद्धालुओं ने आहुतियां अर्पित कर सुख, समृद्धि एवं राष्ट्र के उज्ज्वल भविष्य की मंगल कामना की। इस अवसर पर गायत्री परिवार के सदस्यों ने यज्ञ के वैज्ञानिक एवं आध्यात्मिक महत्व पर भी प्रकाश डाला। आयोजन में क्षेत्र के अनेक श्रद्धालु, गायत्री परिजन एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम के सफल आयोजन पर अखिल विश्व गायत्री परिवार, गायत्री शक्तिपीठ शुजालपुर मंडी ने सभी सहयोगियों एवं श्रद्धालुओं का आभार व्यक्त किया।

साइबर जागरूकता अभियान 'सेफ क्लिक 2.0' का शुभारंभ

माही की गूंज, शाजापुर।

साइबर अपराधों के प्रति आमजन को जागरूक एवं सतर्क बनाने के उद्देश्य से शाजापुर पुलिस द्वारा बड़ा चैक, शाजापुर में ष्सेफ क्लिक 2.0ष् साइबर जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक शाजापुर द्वारा हरी झंडी दिखाकर साइबर जागरूकता रथ को जिलेभर में प्रचार-प्रसार हेतु रवाना किया गया। साथ ही नागरिकों को साइबर सुरक्षा संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए बाजार क्षेत्र में बैनर एवं पोस्टर भी लगाए गए।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पुलिस अधीक्षक शाजापुर ने बताया कि विगत एक वर्ष में शाजापुर साइबर सेल द्वारा साइबर धोखाधड़ी के मामलों में पीड़ितों की लगभग 1 करोड़ 16 लाख 70 हजार रुपये की राशि होल्ड कराई गई है। इसके अतिरिक्त 45 लाख 70 हजार रुपये की राशि पीड़ितों को वापस दिलाई जा चुकी है तथा लगभग 50 लाख रुपये की राशि वापसी की प्रक्रिया में है, जिसे शीघ्र ही संबंधित पीड़ितों को वापस करायी जाएगी।

उन्होंने नागरिकों से साइबर अपराधों के प्रति सजग रहने की अपील करते हुए कहा कि किसी भी अज्ञात लिंक पर क्लिक न करें तथा ओटीपी, बैंक खाता, एटीएम कार्ड अथवा अन्य बैंकिंग संबंधी गोपनीय जानकारी किसी भी व्यक्ति के साथ साझा न करें। यदि कोई व्यक्ति साइबर धोखाधड़ी का शिकार होता है, तो तत्काल राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर संपर्क करें अथवा साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं।

इस अवसर पर उपस्थित नागरिकों को साइबर सुरक्षा की शपथ भी दिलाई गई तथा साइबर अपराधों से बचाव के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। कार्यक्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शाजापुर घनश्याम मालवीय, अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) अजय मिश्रा, रक्षित निरीक्षक श्रीमती वंदना सिंह, थाना प्रभारी कोतवाली संतोष वाघेला, थाना प्रभारी लालघाटी अर्जुन सिंह मुजाल्दे, थाना प्रभारी अजाक रामचंद्र नागर, पत्रकार बंधु एवं बड़ी संख्या में आम नागरिक उपस्थित रहे।

22 वर्ष पहले अखंड ज्योत जलाने वाले संत पहुंचे ऐतिहासिक भोजशाला

माही की गूंज, धार।

ऐतिहासिक भोजशाला में नियमित सत्याग्रह में श्रद्धा और उत्साह का विशेष माहौल देखने को मिला। बड़ी संख्या में श्रद्धालु मां वाग्देवी के दर्शन के लिए पहुंचे। श्रद्धालुओं ने मां वाग्देवी की स्तुति की, हनुमान चालीसा का पाठ किया और जयघोष लगाए, इससे पूरा परिसर भक्तिमय हो उठा।

20 फरवरी 2004 को ज्योति मंदिर में अखंड ज्योत की स्थापना की थी

इस बार का सत्याग्रह इसलिए भी खास रहा क्योंकि 20 फरवरी 2004 को ज्योति मंदिर में अखंड ज्योत की स्थापना करने वाले संत स्वयं भोजशाला पहुंचे। वर्षों बाद भोजशाला पहुंचकर उन्होंने मां वाग्देवी के दर्शन किए और श्रद्धालुओं को संबोधित किया। सत्याग्रह के पश्चात श्रद्धालुओं ने कतारबद्ध होकर मां वाग्देवी के दर्शन किए।

संत श्यामसुंदर जी महाराज बापू धामनोद ने कहा कि जब 2004 में अखंड ज्योत स्थापित की गई थी, तब उसका उद्देश्य भोजशाला आंदोलन को निरंतर शक्ति देना और हिंदू समाज की आस्था को जागृत रखना था। उस समय जो संकल्प लिया गया था, वह आज काफी हद तक पूरा होता दिखाई दे रहा है।

उन्होंने कहा कि वर्षों तक ये अखंड ज्योत संघर्ष, विश्वास और उम्मीद का प्रतीक बनकर जलती रही। समाज के धैर्य और लंबे संघर्ष के कारण आज सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। संत श्याम सुंदर महाराज ने कहा कि ये सफलता किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि पूरे हिंदू समाज के संघर्ष और समर्पण की जीत है। उन्होंने कहा कि अब अगला प्रयास मां वाग्देवी की प्रतिमा को लंदन से वापस लाकर भोजशाला में स्थापित करने का होना चाहिए, ताकि श्रद्धालुओं की वर्षों पुरानी भावना पूरी हो सके।

संतों का किया सम्मान

सत्याग्रह के दौरान भोज उत्सव समिति के सदस्यों ने अखंड ज्योत की स्थापना करने वाले संतों का सम्मान किया। इस अवसर पर गोपाल शर्मा, हेमंत दौराया, विश्वास पांडे, सुमित चैधरी सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे।

फुटपाथ पर दुकान, सड़क पर पार्किंग...

माही की गूंज, उज्जैन।

फुटपाथ लोगों के चलने के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन उज्जैन में कई जगह उन पर अब लोगों का नहीं, दुकानों और अतिक्रमणकारियों का कब्जा है। चामुंडा माता मंदिर से चरक अस्पताल तक आगर रोड का हाल इसकी बानगी है। यहां फुटपाथ पर चाय-पोहा और नाश्ते की दुकानें सज गई हैं, जबकि सड़क किनारे वाहनों की पार्किंग ने बची हुई जगह भी घेर ली है। नतीजा यह है कि पैदल चलने वालों को रोजाना तेज रफ्तार वाहनों के बीच जान जोखिम में डालकर सड़क पर चलना पड़ रहा है।

हैरानी की बात यह है कि यह सब उन अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की आंखों के सामने हो रहा है जो सड़क सुरक्षा और अतिक्रमण नियंत्रण की जिम्मेदारी संभालते हैं। नगर निगम की कार्रवाई भी ऐसी साबित हो रही है जो सुबह दिखती है और शाम तक गायब हो जाती है। सवाल यही है कि जब फुटपाथ पैदल यात्रियों के लिए बने हैं, तो उन पर सबसे कम अधिकार आखिर पैदल चलने वालों का ही क्यों रह गया है।

चामुंडा माता मंदिर के पास आगर रोड के फुटपाथ पर होटल और सड़क किनारे पार्किंग ने घेरा रास्ता। सुरक्षित आवागमन की जगह जोखिम उठाने को मजबूर आमजन।

निरंतर निगरानी और कार्रवाई जरूरी

तस्वीर में साफ दिखाई देता है कि फुटपाथ पर दुकानें संचालित हो रही हैं, खाना बनाया जा रहा है और ग्राहकों के बैठने की व्यवस्था तक कर ली गई है। ऐसे में पैदल चलने वालों के पास सड़क पर उतरने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। लोगों का कहना है कि नगर निगम समय-समय पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई तो करता है, लेकिन उसका असर कुछ घंटों या कुछ दिनों से ज्यादा नहीं रहता। सुबह अतिक्रमण हटाया जाता है और शाम तक वही स्थिति फिर से बन जाती है। यही कारण है कि वर्षों से समस्या जस की तस बनी हुई है। निरंतर निगरानी और कार्रवाई जरूरी है।

अफसर-जनप्रतिनिधियों की आंख के सामने हो रहा सब

हैरानी की बात यह है कि यह पूरा घटनाक्रम उन अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की आंखों के सामने हो रहा है जो शहर की यातायात व्यवस्था और सड़क सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं। महापौर, कलेक्टर और संभागायुक्त कई बार मुख्य मार्गों को अतिक्रमण मुक्त रखने, फुटपाथ खाली कराने और दुर्घटना संभावित स्थलों से बाधाएं हटाने के निर्देश दे चुके हैं। इसके बावजूद आगर रोड, मक्सी रोड, देवास रोड सहित अधिकांश प्रमुख मार्गों पर अतिक्रमण और अव्यवस्थित पार्किंग का कब्जा बना हुआ है।

शहर में फुटपाथों की स्थिति पर नजर डालें तो एक और गंभीर सवाल खड़ा होता है। नगर निगम इन दिनों वायु गुणवत्ता सुधार और सौंदर्यीकरण योजनाओं के तहत इंजीनियरिंग कॉलेज रोड तथा विक्रम नगर रेलवे स्टेशन पहुंच मार्ग पर नए फुटपाथ विकसित कर रहा है। लेकिन जिन क्षेत्रों में सबसे अधिक पैदल आवाजाही होती है, वहां या तो फुटपाथ बने ही नहीं हैं या फिर वे अतिक्रमण की भेंट चढ़ चुके हैं। फ्रीगंज, पुराने शहर और कई प्रमुख बाजार क्षेत्रों में पैदल यात्रियों के लिए सुरक्षित मार्ग आज भी सपना बने हुए हैं।

विशेषज्ञ मानते हैं कि किसी भी शहर की गुणवत्ता का आकलन उसकी सड़कों से नहीं, बल्कि पैदल यात्रियों के लिए उपलब्ध सुरक्षित सुविधाओं से किया जाता है। जब नागरिकों को अपने ही शहर में पैदल चलने के लिए सड़क पर जान जोखिम में डालनी पड़े तो यह केवल अतिक्रमण का नहीं, बल्कि शहरी प्रबंधन की विफलता का भी मामला है। यदि प्रशासन वास्तव में सड़क सुरक्षा को लेकर गंभीर है तो उसे अभियान आधारित कार्रवाई के बजाय स्थायी और कठोर व्यवस्था लागू करनी होगी, अन्यथा फुटपाथों पर कब्जे और सड़कों पर बढ़ता खतरा यूं ही बना रहेगा।

सरकारी कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार की सजा सिर्फ जांच, नोटिस, स्थानांनतरण और वसूली

ना नौकरी जाने का डर और ना ही जेल जाने का डर, ना ही उच्चाधिकारियों में भ्रष्टों को सिस्टम से बाहर निकाल फैंकने की हिम्मत, नतीजा हर बार भ्रष्टाचार, बार-बार भ्रष्टाचार

माही की गूंज, झाबुआ।
मुजम्मिल मंसुरी

जिले में भ्रष्टाचार के मामले उजागर होना कोई नई बात नहीं है। क्योंकि यहां हर रोज एक नई कहानी भ्रष्टाचार की इबारत गढ़ती नजर आ ही जाती है। जिले में कई सरकारी योजनाएं विकास के लिए आती तो है, लेकिन उनसे जिले का विकास नहीं होता बल्कि सरकारी मुलाजिमों का ही विकास होता दिखाई देता है। ऐसे कई उदाहरण जिले में भरे पड़े है जो यह दर्शाते है कि, जिले में जिलेवासियों का विकास तो नहीं हुआ लेकिन सरकारी मुलाजिमों का इतना विकास हुआ कि उनकी अगली पुस्ते भी वारी न्यारी हो गई। ऐसे कई चेहरे उजागर भी हुए लेकिन कार्रवाई के नाम पर सबकुछ फिसड्डी ही साबित हुआ है। इसे कानूनी लचरता कहा जाए या फिर उच्चाधिकारियों की निठल्ली कार्यप्रणाली। लेकिन भ्रष्टाचार की इस गंगा से नुकसान तो सिर्फ जिलेवासियों का ही हुआ है। क्योंकि जब-जब भी छोटे भ्रष्टों का पर्दाफाश होता है तो कहीं न कहीं कड़ियां उच्चाधिकारियों से भी जुड़ी नजर आती है। कई मामलों में भ्रष्ट खुद यह कहते नजर आते है कि, भ्रष्टाचार से की गई कमाई का बड़ा हिस्सा उपर तक जाता है। यानि कुल मिलाकर पूरा बांस ही पूरी तरह से पोला दिखाई देता है। मामले उजागर होने के बाद उच्चाधिकारी थोथा चना बाजे घना की तर्ज पर काम करते और मामले को रफा-दफा कर दिया जाता। हां यह जरूर है कि, कभी-कभी कुछेक अधिकारी ऐसे भी भ्रष्ट तंत्र के बीच पहुंच जाते है जो इसका विरोध करते है और भ्रष्टों को नाको चने चबाते है। मगर वो कहते है ना कि अकेला चना भांड नहीं फोड़ सकता।

जिले में दशकों से बह रही भ्रष्टाचार की गंगा मानों वर्तमान में अपने पूरे उफान पर है। पिछले डेढ़ दशक में प्रदेश और केंद्र सरकार की कई योजनाएं जिले में पहुंची लेकिन लगभग सभी योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। अधिकारियों और कर्मचारियों ने भ्रष्टाचार की इस गंगा में जमकर डूबकी लगाई और जिले की आमजनता को खूब चूना लगाया। भ्रष्टों ने लाखों-करोड़ों के वारे न्यारे किए और जिले से रवाना हो गए। बाद में जब भी उनके भ्रष्टाचार उजागर हुए, जांचें हुई, अधिकारी दोषी पाए गए, मगर कार्रवाई के नाम पर परिस्थितियां ''ढाक के तीन पात'' ही साबित हुई। जिले में रहे कुछ कलेक्टरों के नाम भी भ्रष्टाचार की गंगा में डूबकी लगाने पर जाहिर हुए। जांच में वे दोषी भी पाए गए। एकाध कलेक्टर को सजा भी हुई। लेकिन कुछ अब भी कानूनी लचरता का फायदा उठाते हुए आजाद घूम रहे है।

जिले में केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री शौचालय योजना हो या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना। जिले के भ्रष्ट अधिकारियों ने हमेशा ''हथेली को दिल्ली और अंगूठे को कुतुब मिनार'' ही दिखाया है। जिस तरह जिले में शौचालय जमीन से गायब हुए उसी तरह जिले की कई ग्राम पंचायतों में प्रधानमंत्री आवास भी गायब हुए। बिना बनाए ही शौचालयों की राशि पंचायत सचिवों, सरपंचों और अधिकारियों ने मिलकर डकार ली। तो वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के हाल भी यही हुए। जिले की कई ग्राम पंचायतों में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर कई बड़े भ्रष्टाचार देखने को मिले है। प्रधानमंत्री आवास योजना में नाम जुड़वाने को

लेकर भी जमकर भ्रष्टाचार हुआ तो कहीं लोगों को प्रधानमंत्री आवास का लाभ नहीं मिल सका और सरकारी खजाने से उनके आवास के नाम से पूरी की पूरी राशि सरपंच-सचिव और अधिकारियों ने मिलकर डकार ली। ऐसे कई मामले है जो प्रधानमंत्री आवास योजना की हकीकत उजागर करते प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रानिक मीडिया पर सार्वजनिक हुए। मगर प्रशासनिक तंत्र का पूरा बांस पोला होने के चलते परिणाम शुन्य ही साबित हुए है।

इन दिनों जिले में एक ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार का मामला गर्माया हुआ है। जिले की खड़कुई पंचायत में भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया। जिसमें सरपंच-सचिव ने मिलकर जमकर भ्रष्टाचार किया और धरातल पर बनने वाली सड़कें भ्रष्टाचार रूपी पानी से गटक ली। बताया जा रहा है कि, राणापुर जनपद की ग्राम पंचायत खड़कुई में सरपंच-सचिव द्वारा वित्तीय अनियमित्ता यानि भ्रष्टाचार को अंजाम देते हुए 11 सीसी रोड की लगभग 32 लाख 80 रुपये की राशि बिना काम किए ही निकाल कर हजम कर ली। अब मामला उजागर होने के बाद खड़कुई के पूर्व सरपंच व सचिव पर कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई के नाम पर पूरे मामले में पूर्व सरपंच व सचिव से राशि वसूली की कवायदें की जा रही है, इस राशि की वसूली के लिए सरपंच और सचिव को पहले ही एक माह का समय दिया गया था। सुनवाई के दौरान दोनों ही भ्रष्टों ने अपने-अपने हिस्से की आधी-आधी राशि जमा करने के लिए समय की मांग की थी। लेकिन समयावधि पूरी होन के बावजूद सरपंच-सचिव ने यह राशि जमा नहीं की। अब प्रशासन ने अंतिम वसूली आदेश जारी कर दिया है। आदेश के तहत दोनों दोषियों से 16-16 लाख से अधिक की राशि वसूल की जाएगी। इस मामले में खड़कुई के पूर्व सचिव कैलाश पंचाल जो कि वर्तमान में ग्राम पंचायत मांडलीनाथु में पदस्थ है को कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में अलग से दंडित किया है, पंचाल की एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोक दी गई है। अंतिम वसूली आदेश जारी होने के बाद भी अगर दोषियों ने यह राशि जमा नहीं की तो प्रशासन आगे कुर्की की कार्रवाई करेगा।

मगर सचिव कैलाश पंचाल तो भ्रष्टाचार का बड़ा खिलाड़ी नजर आ रहा है। अपनी पूर्व पंचायत खड़कुई में अपने भ्रष्टाचार के कारनामों को अंजाम देने के बाद वह अब अपनी नई ग्राम पंचायत मांडलीनाथू में इसी तरह के भ्रष्टाचार को अंजाम देने में लगा हुआ है। हाल ही में कैलाश पंचाल पर मांडली नाथू में भी निर्माण कार्यों में अनियमित्ता का आरोप सिद्ध हो चुका है। ग्राम पंचायत मांडली नाथू के ग्रामीणों ने सरपंच और सचिव के खिलाफ शिकायत की। जिस पर जांच हुई और जांच में तीन सड़क निर्माण कार्यों में करीब 8.75 लाख रुपए का गलत आहरण सामने आया है। अब इस मामले में भी करीब 1 लाख 42 हजार रुपए की वसूली प्रस्तावित है।

इस पूरे मामले में अंतिम परिणाम क्या निकल कर सामने आएंगे यह तो समय ही बताएगा। लेकिन क्या जिले में यह पहला ऐसा मामला है? तो जवाब मिलता है नहीं। जिले में आए दिन ऐसे मामले देखने को मिलते ही रहते है और इस तरह के मामलों में अक्सर दोषी भी सरपंच-सचिव ही होते है। मगर इतने बड़े भ्रष्टाचार के बाद भी इन पर महज छोटी-मोटी कार्रवाईयां ही होती है। कोई सख्त कदम ना तो उच्चाधिकारी उठाते है और ना ही जिला प्रशासन में बैठे जिम्मेदार। नतीजा यह निकल कर सामने आता है कि हर बार, बार-बार भ्रष्टाचार। भ्रष्ट सचिवों या कर्मचारियों पर गंभीर भ्रष्टाचार के बावजूद सिर्फ नोटिस, स्थानांनतरण या फिर वसूली तक की ही कार्रवाई की जाती है। ऐसे भ्रष्टों को उच्चाधिकारी या जिला प्रशासन में बैठे जिम्मेदार सेवा समाप्ति जैसी सजा देने की हिम्मत नहीं कर पाते। नतीजा यह होता है कि भ्रष्टों को न नौकरी जाने का डर और ना ही जेल जाने का डर। वे या तो निलंबन के बाद या फिर स्थानांनतरण के बाद फिर उसी तरह के भ्रष्टाचार को अंजाम देने में लग जाते है।

कुएं से मिला देवर-भाभी का शव, दो दिन से थे लापता

मृतक महिला के परिवार ने लगाया हत्या का आरोप

माही की गूंज, करवड़/पेटलावद।

झाबुआ जिले की करवड़ चैकी अंतर्गत गंगाखेड़ी के पास खाखरापाड़ा मार्ग स्थित एक कुएं में मंगलवार सुबह एक महिला और एक पुरुष का शव मिलने से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मृतका की पहचान सपना पत्नी राहुल प्रजापत तथा मृतक की पहचान श्याम पिता कैलाश प्रजापत, निवासी ग्राम करडावद के रूप में हुई है। दोनों आपस में रिश्ते में देवर-भाभी लगते थे। दोनों ही शादीशुदा थे और उनके बच्चे भी हैं।

घटना की जानकारी तब सामने आई, जब सुबह ग्रामीणों ने कुएं के पास एक बाइक खड़ी देखी। पास जाकर देखने पर उन्हें कुएं के अंदर दो शव दिखाई दिए। ग्रामीणों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस और करवड़ चैकी की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद दोनों शवों को कुएं से बाहर निकाला। प्रारंभिक जांच में मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है और पुलिस इसे प्रेम प्रसंग से जोड़कर देख रही है।

गौरतलब है कि दोनों के लापता होने की रिपोर्ट दो दिन पूर्व ही पेटलावद पुलिस थाने में दर्ज करवाई गई थी। घटना की जानकारी मिलते ही पेटलावद थाना प्रभारी निर्भय सिंह भूरिया और करवड़ चैकी प्रभारी प्रहलाद सिंह चुंडावत अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। मौके पर मौजूद परिजनों और ग्रामीणों की भारी भीड़ के बीच पुलिस ने पंचनामा तैयार किया। फिलहाल पुलिस मामले की विस्तृत जांच में जुटी है, ताकि घटना के कारणों का स्पष्ट पता लगाया जा सके।

हत्या का आरोप

मृतका सपना प्रजापत की अचानक मौत की खबर उसके परिजनों को गले नहीं उतरी। सपना का मायका पक्ष मौके पर पहुंचा, तब तक दोनों शव घटनास्थल पर ही पड़े रहे। परिवार के लोगों ने सपना और उसके देवर के शव देखकर आत्महत्या की कहानी पर संदेह जताया। परिजनों के पहुंचने के बाद ही पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी की गई।

अंतिम संस्कार के बाद मृतका सपना के परिजन पेटलावद पुलिस थाने पहुंचे। मृतका के मामा, उज्जैन निवासी नरेंद्र प्रजापत ने थाने में लिखित आवेदन प्रस्तुत कर भांजी सपना के शव पर मिले चोट के निशानों को देखते हुए उसकी मौत के पीछे किसी अनहोनी की आशंका जताई।

नरेंद्र प्रजापत ने बताया कि, जैसा कि सपना के ससुराल पक्ष ने जानकारी दी थी, वह घर से निकली थी तब उसके पास लगभग 40 हजार रुपए नकद, सोने-चांदी के आभूषण, मोबाइल फोन तथा कपड़ों का बैग था। वहीं दोनों मृतकों के पास भी मोबाइल थे, लेकिन पुलिस को घटनास्थल से केवल मोटरसाइकिल और युवक का आधार कार्ड ही मिला। इसके अलावा अन्य सामान गायब था।

उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों मृतकों के शरीर पर गंभीर चोटों के निशान थे, जो मृत्यु से पहले मारपीट होने की आशंका को बल देते हैं।

नरेंद्र प्रजापत ने यह भी बताया कि, जिस कुएं से शव बरामद हुए, उसके मालिक के अनुसार बाइक 21 जून की शाम लगभग 4 बजे से वहीं खड़ी थी, जबकि दोनों 21 जून को ही दोपहर करीब 1 बजे घर से निकले थे।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार

थाना प्रभारी निर्भय सिंह भूरिया ने बताया कि मृतका के परिजनों द्वारा आवेदन दिया गया है। दोनों मृतकों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो पाएगी और उसी आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मामले की हर पहलू से जांच की जाएगी।

वहीं, मृतक श्याम प्रजापत के परिवार और ससुराल पक्ष की ओर से किसी प्रकार की आशंका व्यक्त नहीं की गई है। साथ ही मृतका सपना के ससुराल पक्ष ने भी किसी अनहोनी की आशंका नहीं जताई है।

मृतका सपना के परिजनों ने थाने में आवेदन देकर जांच की मांग की।

नगरपालिका और व्यापारियों में रस्साकसी खत्म होने का नाम नहीं ले रही

अब नगरपालिका का दुकानें खाली करने को लेकर अल्टीमेटम

माही की गूंज, झाबुआ।

पिछले एक पखवाड़े से बस स्टेंड स्थित जर्जर धर्मशाला को नगरपालिका द्वारा खाली करवाने की कवायदें की जा रही है। मगर इस धर्मशाला में बनी दुकानों के व्यापारियों और नगरपालिका के बीच रस्सा कसी का खेल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। नगरपालिका इस धर्मशाला के साथ 13 दुकानों को ध्वस्त करने पर अड़ी हुई है तो व्यापारी भी नगरपालिका से लिखित आश्वासन लेने पर अड़े हुए है। नगरपालिका का कहना है कि, यह भवन पूरी तरह से जर्जर हो चुका है और इससे हादसे का अंदेशा बना हुआ है। कोई जनहानी हो उसके पहले इसे ध्वस्त करना ही उचित होगा। मगर दूसरी ओर व्यापारी इस बात पर अड़े हुए है कि, उनकी दुकानें ध्वस्त करने के बाद पुर्ननिर्माण कर उन्हे ही दी जाए ऐसा नगरपालिका लिखित में आश्वासन दे दे। इस मामले में दोनां ही अपनी जगह पर अब पूरी तरह से अड़ चुके है। इसी बीच नगरपालिका ने दुकानदारों को दुकानों से सामान निकालने का अल्टीमेटम दे दिया है।

गौरतलब है कि, जिस धर्मशाला को खाली करवाने और ध्वस्त कर पुर्ननिर्माण की कवायद नगरपालिका कर रही है वह वर्षों से बस स्टेंड के समीप जर्जर अवस्था में खड़ी हुई है। हालांकि इससे पहले भी इस इमारत को खाली करवाने के लिए नगरपालिका संघर्ष करती रही है, लेकिन उसके हाथों सफलता नहीं लगी। मगर इस बार नगरपालिका ने इस जर्जर इमारत को ढहाने का पूरा मन बना लिया है। चूंकि नगरपालिका का यह भवन कई वर्षों से जर्जर घोषित मगर अब इसकी स्थिति अत्यंत ही दयनीय होकर घातक हो चुकी है। जबकि व्यापारी इस भवन से अपनी दुकानें खाली करने को तैयार नहीं है। पिछली 13 जून को सुबह तड़के नगरपालिका के अमले ने भारी पुलिस बल की तैनाती के साथ इस भवन में संचालित हो रही लगभग 13 दुकानों को सील कर दिया था। जिसके बाद से व्यापारियों और नगरपालिका के बीच खूब तर्क-कुतर्क की जंग चली। मामले को लेकर व्यापारियों ने कुछ दिन पूर्व कलेक्टर से मुलाकात की लेकिन उन्हे आश्वासन का झुनझुना ही मिला। अब नगरपालिका ने अपना सख्त रवैया अपनाया और भवन में लगने वाली सभी दुकानों से सामान निकालने के लिए व्यापारियों को अल्टीमेटम दे दिया है।

नगरपालिका ने नोटिस में मध्य प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 221 का हवाला देते हुए भवन को ध्वस्त करने की वैधानिक कार्रवाई की बात कही है। नगरपालिका ने इस कार्रवाई में शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज उज्जैन की 'स्ट्रक्चरल फिजिबिलिटी रिपोर्ट' को मुख्य आधार बनाया है। इस रिपोर्ट के अनुसार भवन का भूतल और प्रथम तल मानवीय उपयोग या व्यावसायिक उपयोग के लिए पूरी तरह से अयोग्य है। भवन इस कदर क्षतिग्रस्त हो चुका है कि इसका जिर्णोद्धार या कायाकल्प करना तकनीकि रूप से संभव नहीं है। नगरपालिका ने स्पष्ट किया है कि यह भवन बस स्टेंड जैसे व्यस्त क्षेत्र में है। ऐसे में इस जर्जर भवन के गिरने की लगातार आशंका बनी हुई है। यदि यह भवन गिरता है तो जानमाल का नुकसान होने की अधिक संभावना है।

इधर नगरपालिका की कार्रवाई के बीच दुकानदारों ने अपना पक्ष रखते हुए नगरपालिका से एक समझौते की उम्मीद कर रहे है। व्यापारियों की मांग है कि नगरपालिका उनके साथ एक विधिवत लिखित अनुबंध करे। इस अनुबंध में प्रशासन यह भरोसा दिलाए कि, जर्जर भवन को तोड़ने के बाद जब नए सिरे से दुकानें या कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो तो वे दुकानें वापस उन्हे ही आवंटित की जाएगी। व्यापारियों का कहना है कि, वे नई दुकानों के निर्माण की पूरी लागत स्वयं वहन करने को भी तैयार है। व्यापारियों का यह भी कहना है कि, वे शहर के विकास या जनसुरक्षा के खिलाफ नहीं है, लेकिन दशकों से जमे उनके कारोबार को इस तरह सड़क पर ना लाया जाए। नगरपालिका उन्हे नए निर्माण में प्राथमिकता देने का लिखित वादा करती है तो वे हर तरह से सहयोग के लिए तैयार है।

फिलहाल नगरपालिका ने व्यापारियों को तीन दिनों में दुकानों का सामान खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया है, लेकिन व्यापारियों की मांग पर अब तक लिखित में किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिली है। हालांकि कलेक्टर के साथ हुई बैठक के बाद नगरपालिका के जनप्रतिनिधियों ने मौखिक आश्वासन जरूर व्यापारियों को दिया है।

अब स्थिति यह है कि जिस भवन को नगरपालिका ध्वस्त कर पुर्ननिर्माण करना चाहती है वह वाकई में बहुत ही जर्जर और घातक स्थिति में है। जिसका गिराया जाना अत्यंत ही आवश्यक और जनहित में है। दूसरी तरफ व्यापारियों का अपना तर्क भी सही है लेकिन अब तक व्यापारियों को राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही है। अब आने वाला समय ही बताएगा कि नगरपालिका और व्यापारियों के बीच चल रही इस रस्साकसी में उंट किस करवट बैठेगा।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, अलका भटेवरा द्वारा काम्पेक प्रिन्टर्स प्रायवेट लिमिटेड, 3/54, प्रेस कॉम्प्लेक्स, ए. बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 499, बाजना मार्ग, गणेश मंदिर के सामने, खवासा, तहसील थांदला, जिला-झाबुआ (म.प्र.) से प्रकाशित। प्रधान संपादक- संजय भटेवरा। मोबाइल नं. -95898-82798 (सभी विवादों का न्यायालय क्षेत्र झाबुआ रहेगा) आरएनआई नंबर- एमपीएचआईएन/2018/76422